

office use only
N.K. Singh

सहारनपुर महायोजना -2021

प्रस्तुतकर्ता :

मेरठ सम्भागीय नियोजन खण्ड

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, 30प्र0

एवम्

सहारनपुर विकास प्राधिकरण

सहारनपुर।

प्रथम संस्करण 2007

मूल्य 300.00 रु०

प्रेषक,

डी.सी.लाखा,

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

उपाध्यक्ष,

सहारनपुर विकास प्राधिकरण,

सहारनपुर।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 25 जनवरी, 2007

विषय: सहारनपुर महायोजना-2021 को अनुमोदन प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-241/ स.वि.प्रा./ एस.टी / 2006 दिनांक 14 नवम्बर 2006 का सदर्थ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहारनपुर महायोजना-2021 को कतिपय सशोधनों सहित उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-10 के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान किया जाता है। महायोजना प्रतिवेदन तथा सशोधित मानचित्र की एक अनुमोदित प्रति सलग्न है।

3- कृपया सहारनपुर महायोजना-2021 शासन द्वारा अनुमोदित किए जाने की सूचना किन्हीं दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें। सूचना में वह स्थान भी इंगित किया जाय, जहां पर सर्वसाधारण द्वारा महायोजना का सुगमतापूर्वक निरीक्षण किया जा सके।

4- महायोजना समाचार पत्रों में स्वीकृति की विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगी। कृपया समाचार पत्रों में स्वीकृति के प्रकाशन की सूचना एवं कटिंग भी शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

सलग्नक महायोजना की अनुमोदित प्रति।

भवदीय
(डी.सी.लाखा)
प्रमुख सचिव।

सख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पत्र संख्या 1496/ व.नि (1)/ सहारनपुर महायो / 06-07 दिनांक 05.08.2006 के क्रम में महायोजना के एक अनुमोदित प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सलग्नक यथाकृत।

आज्ञा से,
(शिवजनम चौधरी)
अनुसचिव।



सहारनपुर विकास प्राधिकरण

सहारनपुर विकास क्षेत्र, सहारनपुर

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अधीन

- अध्यक्ष : आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर
- उपाध्यक्ष : उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर
- पदेन सदस्य : जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर
- .. : सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ०प्र० शासन
- .. : सचिव वित्त, उ०प्र० लखनऊ
- .. : मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० लखनऊ
- .. : प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उ०प्र० लखनऊ
- .. : प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ
- .. : अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, सहारनपुर

प्राक्कथन

सहारनपुर नगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक केन्द्र एवं कृषि मण्डी के रूप में विकसित नगर है। यह नगर लकड़ी की पच्चीकारी के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी की पच्चीकारी यहाँ का मुख्य कुटीर उद्योग है। यह नगर सड़क तथा रेलमार्गों द्वारा देश तथा प्रदेश के मुख्य नगरों से भली-भाँति जुड़ा हुआ है।

सहारनपुर नगर के भौतिक विस्तार को सुनियोजित रूप में विकसित एवं नियन्त्रित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सहारनपुर विकास क्षेत्र घोषित करते हुए विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। पूर्व में घोषित सहारनपुर विनियमित क्षेत्र हेतु तैयार सहारनपुर महायोजना-2001 उक्त विकास क्षेत्र में लागू रही। इस महायोजना की अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप नगर की नई महायोजना तैयार करने के लिए सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को अधिकरण घोषित किया गया। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा नगर की वर्तमान विकास समस्याओं का विस्तृत अध्ययन कर सहारनपुर नगरीयक्षेत्र के लिए वर्ष 2021 तक अनुमानित 10.00 लाख जनसंख्या हेतु महायोजना तैयार की गयी है, जिसमें नगर की यातायात प्रणाली की गतिशीलता हेतु प्रभावशाली मार्गसंरचना के अतिरिक्त नगर में आर्थिक क्रियाओं, अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवाओं के लिए आवश्यक क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। उक्त महायोजना परजन-सामान्य, राजकीय/अर्धराजकीय कार्यालय एवं संस्थाओंसे प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर सुनवाई एवं विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त सहारनपुर महायोजना-2021 को अन्तिम रूप देते हुए सहारनपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

सहारनपुर महायोजना-2021 को तैयार करने में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की लगन एवं उनका कठिन परिश्रम प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है कि प्रस्तुत महायोजना नगर के भावी विकास को उचित दिशा प्रदान करने में उपयोगी सिद्ध होगी।


वी०के० मिश्र
उपाध्यक्ष

सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर

प्रस्तावना

सहारनपुर पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के अपर गंगा-यमुना दोआब क्षेत्र में एक प्रमुख औद्योगिक एवं प्रशासनिक नगर है। यह नगर उत्तर भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी क्षेत्रों के प्रमुख नगरों को जोड़ने वाले अमृतसर-हावड़ा मुख्य रेलमार्ग तथा दिल्ली-देहरादून रेलमार्ग का मन्धिस्थल है। रेलमार्गों एवं सड़कों के द्वारा यह नगर देश एवं प्रदेश के प्रमुख नगरों से भली-भाँति जुड़ा हुआ है। अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों एवं नगर के निकटवर्ती क्षेत्र में विद्यमान समतल उपजाऊ कृषि भूमि के कारण इस नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक एवं कृषि पर आधारित वाणिज्यिक क्रियाओं एवं अन्य सेवाओं के विकास की प्रवृत्ति प्रबल रही है। नगर के एक बड़े भाग में लकड़ी का सामान तैयार करने का कार्य कूटीर उद्योग के रूप में होता है। यह काष्ठ कला का एक विख्यात केन्द्र है। सुदृढ़ औद्योगिक आधार, उपजाऊ कृषि भूमि, रेलमार्गों एवं विभिन्न राष्ट्रीय तथा राज्यमार्गों के माध्यम से विकसित सम्बद्धता आदि के कारण सहारनपुर का विकास एक प्रमुख क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में हो रहा है। यहाँ पर विकास की प्रबल सम्भावनाएँ हैं।


विकास क्रियाओं को नियोजित करने तथा अनियोजित एवं अनियन्त्रित विकास के कारण उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करते हुए नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए सहारनपुर नगर एवं इसके समीपवर्ती ग्रामों के सम्मिलित कर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1995 में सहारनपुर विकास क्षेत्र घोषित किया गया तथा सहारनपुर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। पूर्व में सहारनपुर विनियमित क्षेत्र के लिए तैयार की गयी सहारनपुर महायोजना 2001 सहारनपुर विकास क्षेत्र के लिए भी यथावत लागू रही। वर्ष 2001 के पश्चात् सहारनपुर विकास क्षेत्र के भावी समग्र विकास हेतु एक नयी दीर्घकालीन विकास योजना की आवश्यकता के दृष्टिगत सहारनपुर महायोजना तैयार करने का निर्णय लिया गया। सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा यह दायित्व नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को सौंपा गया। विभाग द्वारा वर्ष 2021 को लक्ष्य वर्ष मानते हुए सहारनपुर महायोजना-2021 का प्रारूप तैयार किया गया। जिसे प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया तथा प्रारूप पर जनसामान्य, शासकीय विभागों तथा सार्वजनिक संस्थाओं से आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किये गये। सभी आपत्ति/सुझावों पर विधिवत् सुनवाई एवं सम्यक् विचारोंपरान्त सहारनपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सहारनपुर महायोजना-2021 को अन्तिम रूप दिया गया तथा महायोजना अनुमोदित कर शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।


सहारनपुर महायोजना 2021 में अनुमानित 10 लाख जनसंख्या की आवश्यकताओं हेतु विभिन्न नगरीय क्रियाओं के लिए भूमि का समुचित प्राविधान एवं विभिन्न भू-उपयोगों को सुव्यवस्थित मार्ग-प्रणाली से सम्बद्ध करते हुए नगर के भावी समग्र विकास की परिकल्पना की गयी है। सहारनपुर नगर का विकास उद्योग आधारित एक प्रमुख क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में होने की सम्भावना के दृष्टिगत ही औद्योगिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए काष्ठ कला विकास केन्द्र हेतु नगर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भूमि आरक्षित की गयी है। देहरादून मार्ग, दिल्ली मार्ग एवं नये प्रस्तावित बाई पास मार्ग के साथ औद्योगिक भू-उपयोग निर्धारित किये गये हैं जिससे कि परम्परागत एवं आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं का विकास समीपस्थ क्षेत्रों में हो किया जा सके। निकट भविष्य में सहारनपुर नगरीय क्षेत्र में उच्च शिक्षा-संस्थानों, चिकित्सा केन्द्रों, मनोरंजन म्थलों एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का विकास निजी सेक्टर में होने का

प्रबल सम्भावना है। यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे विकसित हो रही है तथा इसे प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के दृष्टिगत नगर के विभिन्न क्षेत्रों में इन सामाजिक सुविधाओं के विकास हेतु पर्याप्त भूमि आरक्षित की गयी है। नगर की यातायात-परिवहन प्रणाली को सुगम एवं विकास कार्यों के लिए सुविधाजनक बनाने हेतु बाई-पास मार्गों, दो ट्रांसपोर्ट नगरों एवं बाहरी क्षेत्रों में सभी प्रमुख मार्गों पर बस-अड्डों की प्रस्तावना की गयी है। सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट्स, डम्पिंग ग्राऊण्ड, पशु वधशाला, प्रमुख नालों का विकास, उद्योगों की स्थापना आदि के लिए भूमि का निर्धारण इस प्रकार से किया गया है कि नगरीय क्षेत्र में प्रदूषण को यथासम्भव न्यूनतम किया जा सके। नगर के पुराने निर्मित क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं को नियोजित करने तथा आन्तरिक भागों में पुनर्विकास एवं पुनर्निर्माण हेतु नीतियाँ निर्धारित की गयी हैं। आन्तरिक भाग की पुनर्विकास योजना अलग से भी तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

सहारनपुर महायोजना-2021 नगरीय क्षेत्र की भावी आवश्यकताओं एवं विकास की सम्भावनाओं के दृष्टिगत तैयार की गयी है। इसमें क्षेत्र की उपजाऊ कृषि भूमि के समुचित एवं चरणबद्ध उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सकल नगरीय घनत्व को बढ़ाया गया है तथा नगर के विकास को दो चरणों में विभाजित किया गया है जिससे कि उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग हो सके। मैं आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, विभिन्न राजकीय एवं अर्ध राजकीय विभागों तथा संस्थाओं का आभारी हूँ, जिन्होंने सहारनपुर महायोजना-2021 की संरचना में सक्रिय सहयोग प्रदान किया है।

अनुमोदित


25/11/06
(डी० पी० वाण) (डी० पी० वाण)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
सहारनपुर विकास प्राधिकरण


24/6/06
(एन०आर० वर्मा)

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

विषय सूची

क्र० सं०	अध्याय	पृष्ठ संख्या
अध्याय 1	परिचय	1-4
अध्याय -2	वर्तमान अध्ययन	5-34
	1.0 जनसङ्ख्या	5-7
	2.0 आर्थिक आधार	7-10
	3.0 आवास	10-14
	4.0 व्यापार एवं वाणिज्य	14-17
	5.0 कार्यालय	17-18
	6.0 उद्योग	18-20
	7.0 आपूर्तायक सुविधायें	20-21
	8.0 वातप्यात एवं परिवहन	21-23
	9.0 वतमान भू-उपयोग	23-24
	10.0 स्हागरनपूर महायोजना-2001 का मूल्यांकन	24-25
अध्याय 3	भारती प्रस्ताव	31-46
	1.0 जनसङ्ख्या प्रक्षपण	31-34
	2.0 श्रम शक्ति	34-35
	3.0 प्रस्तावित भू उपयोग	35-37
	4.0 महागरनपूर महायोजना (2021) प्रस्तावों के सम्बन्ध में नीति निर्धारण	37-39
	5.0 महायोजना में प्रस्तावित भू उपयोग	39-40
अध्याय -4	नगर का चरण-बद्ध विकास	47-50
अध्याय -5	महायोजना क्रियान्वयन	51-53
अध्याय -6	जेनिंग रग्यलेशन्स	54-73
	1.0 परिचय	54-55
	2.0 भू-उपयोग परिभर्गों/क्रियाओं की परिभाषायें	55-57
	3.0 प्रमुख भू उपयोग जेन्स में सशत अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु अनिवायं शर्तें एवं शोतबन्ध	57-73

4.0	विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं (Activities) हेतु उपेक्षायें।	71
5.0	प्रमुख भू-उपयोग जोन्स	73
6.0	प्रमुख भू-उपयोग जोन्स से विभिन्न क्रियाओं (Activities) की अनुमन्यता	74
7.0	भू-उपयोग जोन्स का निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क (Impact Fee) का निर्धारण	79
	30प्र0 योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 11 के अधीन सहारनपुर महायोजना-2021 के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही	80

अनुलग्नक 1 से अनुलग्नक 13

1.0 परिचय

सहारनपुर नगर सहारनपुर मण्डल में सर्वाधिक जनसंख्या और उपजाऊ भूमि वाला नगर तथा ग्वनाभन जनपद एवं मण्डल का मुख्यालय है। यह उत्तर प्रदेश के पश्चिम में गंगा-यमुना दोआब के उत्तरी भाग में स्थित है। पॉवधोई नदी एवं दमोला नदी इस नगर के मध्य भाग से गुजरती हैं। दिल्ली-चकराता राजमार्ग संख्या 57 एवं अम्बाला-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 नगर के मध्य से होकर गुजरते हैं। सहारनपुर नगर रेलमार्ग द्वारा अमृतसर, तावडा, दिल्ली एवं देहरादून से सीधे सम्बद्ध है। यह नगर मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, देहरादून एवं अम्बाला नगरों में क्रमशः 114, 181, 522, 80 एवं 88 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नगर देश में लकड़ी का पच्चीकारी के लिए प्रसिद्ध है। पच्चीकारी यहाँ का मुख्य कुटीर उद्योग है।

1.1 भौगोलिक स्वरूप

यह नगर 29° 50' उत्तरी अक्षांश एवं 77° 32' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। भौगोलिक दृष्टि में सहारनपुर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समुद्र तल से नगर की औसत ऊँचाई लगभग 900 फुट है। पॉवधोई एवं दमोला नदी के क्षेत्र को छोड़कर नगर के आस-पास का क्षेत्र समतल है। यह नगर गंगा-यमुना दोआब के मध्य अत्यन्त उपजाऊ कृषि क्षेत्र में स्थित होने के कारण एक कृषि मण्डी के रूप में कार्य करता है। सहारनपुर नगर में गर्मियों में अधिकतम तापमान 41.10 सेन्टीग्रेड तक बढ़ जाता है तथा सर्दियों में न्यूनतम तापमान 1.30 सेन्टीग्रेड तक गिर जाता है। नगर में गेहूँ, धान, गन्ना मुख्य रूप से मण्डी में आता है। सहारनपुर नगर का हिन्टर लैंड आम के उद्यानों हेतु अत्यधिक प्रसिद्ध है।

1.2 19वीं सदी में विकास

18वीं सदी तक सहारनपुर नगर का विकास मुगलकालीन अव्यवस्थित राजनैतिक व्यवस्था के कारण बहुत ही संदग्धि से हुआ। ब्रिटिश शासनकाल के प्रारम्भ से ही सहारनपुर नगर के विकास की गति तीव्र हुई। सन् 1803 में नगर को जिला मुख्यालय बनाया गया। सन् 1816 में नगर पुलिस की स्थापना हुई तथा शताब्दी के मध्य में रेलवे यातायात का सुविधा उपलब्ध करायी गयी। नगर के विकास के दृष्टिगत शासन द्वारा वर्ष 1867 में स्थानीय प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के उद्देश्य से नगरपालिका की स्थापना की गयी। 19वीं शताब्दी के श्रान्ति चरण में नगर के विकास को औद्योगिकरण का इतिहास कहना न्यायसंगत ही प्रतीत होता है, क्योंकि इस समय ही नगर में सिगरेट फैक्ट्री, पपर मिल तथा कपड़े के उद्योग का आरम्भ हुआ। सन् 1901 की जनगणना के अनुसार नगर की कुल जनसंख्या का 26.65 प्रतिशत भाग उद्योगों में कार्यरत था। नगर में लकड़ी पच्चीकारी करना एक प्रमुख उद्योग के रूप में विकसित हुआ तथा वर्तमान में भी यह गृह उद्योग के रूप में काफी विकसित है।

सन् 1870 में नगर में पानी व तनीय नालियों के विकास तथा वहाँ की नालियों में सम्बन्धित एक योजना कार्यान्वित की गयी, जिसके अन्तर्गत पॉवधोई नदी को सफाई तथा दमोला नदी को वहाँ तक सीधा व गहरा किया गया, जहाँ वे शहर से 3 मील दूर हिण्डन नदी से मिलती हैं। इस योजना के परिणामस्वरूप नगर निवासियों के स्वास्थ्य में सामान्यतः सुधार हुआ।

सन् 1901 में नगर का मुख्य नाला, जो कि करेगी नाला के नाम से विख्यात है, का पुनः निर्माण पक्की ईंटों तथा चूने से किया गया तथा इसको दमोला नदी में पुल के निकट मिला दिया गया, जिससे नगर का गन्दा

पानी दमोला नदी द्वारा नगर से बाहर निकल सके।

सन् 1926 में सहारनपुर नगर को विद्युत आपूर्ति से सुसज्जित किया गया, जिससे औद्योगिक इकाइयों तथा व्यापारिक संस्थानों का विकास तीव्र गति से प्रारम्भ हुआ।

नवीन क्षेत्रों का विकास प्राचीन क्षेत्रों के चारों तरफ हुआ है। भारत विभाजन के समय से अत्यधिक संख्या में शरणार्थी नगर की ओर निवास हेतु दिल्ली रोड पर हकीकत नगर तथा नुमाइश कैम्प उपनिवेश, जो इस समय गोपालनगर नाम से प्रचलित है, में बसाये गये। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद का समय मुख्य रूप से नवीन आवासीय विकास का काल कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में बहुत से आवासीय क्षेत्रों का उत्थान व विकास हुआ, जैसे औद्योगिक कालोनी, शारदानगर, गिल कालोनी, अम्बाला नगर, मंगल नगर, बेगैबग, म्युनिमिपल कालोनी आदि। इस प्रकार अधिकतर आवासीय विकास रेलवे लाईन के दक्षिण में कोर्ट रोड, दिल्ली रोड, खल्लासी लाईन एवं साईं कृष्णा शूगर एवं कपड़ा मिल के निकटवर्ती क्षेत्रों में हुआ। नगर के उत्तरी भाग में फलों की बाटिकाएँ होने के परिणामस्वरूप किसी भी विकास का होना सम्भव नहीं हुआ। अतएव नगर के दक्षिणी भाग में विकास होना स्वाभाविक है। रेलवे लाईन के दक्षिण में गजक्रीय कार्यालयों और वृहद औद्योगिक इकाइयों का विद्यमान होना भी इस क्षेत्र के विकास में सहायक है।

1.3 क्षेत्रीय स्थिति

सहारनपुर एक प्रमुख औद्योगिक वाणिज्यिक एवं सेवा प्रधान नगर है। यह नगर लकड़ी की पच्चीकारी कार्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह उद्योग नगर में कुटीर उद्योग के रूप में बड़े पैमाने पर विकसित है। यह गंगा यमुना दोआब के मध्य अत्यन्त उपजाऊ कृषि क्षेत्र में स्थित होने के फलस्वरूप एक प्रमुख कृषि मण्डी के रूप में कार्य करता है। इसका 'हिण्टर लैन्ड' पूरे सहारनपुर जिले में विस्तृत है। इस जिले में स्थानीय बस सेवा एवं रेल सेवा उपलब्ध होने के फलस्वरूप लोग दिन-प्रतिदिन विभिन्न उद्देश्यों से नगर में आते जाते हैं। नगर में धान, गेहूँ, लकड़ी आदि प्रमुख रूप से मण्डी में लाये जाते हैं। सहारनपुर नगर का 'हिण्टर लैन्ड' आम के उद्यानों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। अतः सहारनपुर नगर आमों की एक प्रमुख मण्डी के रूप में कार्य करता है। नहरों एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई की उत्तम सुविधा के फलस्वरूप इसके इर्द-गिर्द के क्षेत्र में सब्जियों एवं जानवरों के चारे की काफी उपज होती है जिससे नगरीय जीवन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। सहारनपुर नगर अपने 'हिण्टर लैन्ड' के लिए शैक्षिक, चिकित्सा, रोजगार आदि की सुविधाएँ प्रदान करता है।

1.4 सहारनपुर विकास क्षेत्र का स्वरूप एवं उसकी महायोजना

सहारनपुर नगर में अनियोजित विकास एवं निर्माण कार्य पर प्रभावी नियन्त्रण करने हेतु राज्य सरकार ने 30प्र0 (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम 1958 की धारा 3 के अंतर्गत अपनी विज्ञप्ति संख्या 538-एन/111-21/आर0बी0ओ0/62 दिनांक 29 नवम्बर, 1962 के द्वारा नगरपालिका सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र तथा नगरपालिका सीमा के बाहर 2 मील के चारों ओर स्थित क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए सहारनपुर विनियमित क्षेत्र घोषित किया।

सहारनपुर में अगस्त 16, 1967 से जुलाई 17, 1978 तक नगरपालिका क्षेत्र में 30प्र0 (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम 1958 लागू नहीं रहा। नगरपालिका क्षेत्र विनियमित क्षेत्र से शासनादेश संख्या


सहारनपुर

विकास क्षेत्र



मापक

428 0 856 171
मीटर



संकेतिका

- विकास क्षेत्र
- ग्राम सीमा
- नगर पालिका क्षेत्र
- पक्का मार्ग
- रेलवे लाइन
- नदी/नाला

सं०	ग्राम का नाम	सं०	ग्राम का नाम	सं०	ग्राम का नाम	सं०	ग्राम का नाम	सं०	ग्राम का नाम
1	दरा राजपुरा	22	सड़क दुधली	43	चक देवली	64	शेखवाला	85	हसनपुर मजरा
2	दरा मिलकाना	23	पो० पुर गाढ़ा	44	दतौली रांघड	65	रूपडी गुजर	86	ताहिरपुर
3	दरा कोटतला	24	जमालपुर	45	मन्शापुर	66	कपूरपुर	87	बादशाहपुर
4	दरा अली स्वाद	25	पाडली खुशहालपुर	46	इलालपुर	67	सबरी वाला	88	मो० पुर बडलौलपुर
5	मेष छपार	26	सम्पालकी खुर्द	47	दमकड़ी	68	उनाली	89	यसुफपुर ए०
6	मानक मऊ	27	खुर्द	48	कटर पुर माफो	69	ईमरी	90	यसुफपुर ए०
7	दरा शिव पुरी स्वाद	28	चक हरेटी	49	कुष्मापुर	70	जयरामपुर	91	लाखनौर ए०
8	ग्वालीरा	29	चक सेंदराजा	50	होज खडी	71	बितिया	92	लाखनौर ए०
9	मोहम्मद पुर माफो	30	तिपर पुर	51	अबदुल्लापुर	72	बन्नीखेड़ा	93	कषामा ए०
10	पन्जौरा	31	ढमौला	52	दन्द माजरा	73	कम्बोमजरा	94	पैरागपुर मु०
11	शेखपुरा कदिम	32	चक सरायभारतीचंद	53	दाबकी गुजर	74	फतहपुर जट्ट	95	पैरागपुर ए०
12	दाबकी जुनारदार	33	मढ	54	पिलखना	75	मलकवाजी उद्दीनपुर	96	दुधली दुलारा मु०
13	माहीपुरा	34	गोकुलपुर	55	पिलखना बककाल	76	हसनपुर-कदोम	97	दुधली दुलारा ए०
14	दरगाहपुर	35	देवला	56	भौपुर	77	मुल्लापुरमजवता	98	चक पैरागपुर
15	घोघेरकी मुव	36	पीकी	57	कलहडा बककाल	78	चिरकीनवादा	99	बाग कलालवाल
16	कुम्हारैडा	37	गिरजापुर मजरा पीकी	58	चक आदमपुर	79	सावलपुर	100	खान आलम पुरा
17	पापडैकी उर्फ रसूलपुर	38	शेलमपुर भूकडी	59	पोसीपुर	80	छिदबना	101	पठानपुरा
18	नुरपुर मु०	39	नमराजपुर	60	बीर पुर	81	सैदपुर	102	चब पान्
19	तौली मजरा	40	मुल्लापुर कदोम	61	मुखालिसपुर	82	चुन्ही गाड़ा		कम संख्या 11से
20	केलाशपुर	41	शूमली	62	इस्माइलपुर	83	मनी खुर्द		102 तक के ग्राम
21	छजपुरा	42	चक गुलचीन	63	चक काजीवाला	84	मवाई कला		नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत हैं।

2385/111/67 दिनांक 16-08-1967 के द्वारा पृथक हुआ। नियत प्राधिकारी के पत्र संख्या 395/(3)/नि0प्रा0/76 दिनांक 6 अगस्त, 1976 एवं जिलाधिकारी के पत्र संख्या 24/नि0प्र0/संशोधन/76 दिनांक 13 जनवरी, 1977 अनुसचिव, उ0प्र0 शासन आवास विकास अनुभाग 3 लखनऊ को संबोधित पत्रों द्वारा नगरपालिका क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र में सम्मिलित करने का निवेदन किया गया। तत्पश्चात शासन ने शासकीय अधिसूचना संख्या 2127/37-3-21/आर0 बी0 ओ0 /62 दिनांक 17.07.78, जो कि असाधारण गजट में प्रकाशित की गयी है, के द्वारा इस विषय पर समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अतिक्रमण करते हुए सहारनपुर नगरपालिका सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और उसके आस-पास के 102 ग्रामों को मिलाकर पुनः सहारनपुर विनियमित क्षेत्र घोषित किया। उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत शासन के शासनदेश संख्या 1347/9-आ/5-95-68 डी0ए0-83 दिनांक 3 मई, 1995 द्वारा सहारनपुर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया तथा वर्तमान विनियमित क्षेत्र को विकास क्षेत्र अधिसूचित किया गया। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार इस विकास क्षेत्र की कुल जनसंख्या 3.009 लाख रहीं, जिसमें से 2.254 लाख नगरपालिका क्षेत्र एवं 0.755 लाख ग्रामीण जनसंख्या रही। विकास क्षेत्र चकराता मार्ग पर सलेमपुर धूकडी एवं नगराजपुर, पूर्व की ओर देहरादून मार्ग पर कैलाशपुर वेली मजरा व नूरपुर, दक्षिण पूर्व की ओर लाखनौर, दक्षिण की ओर दिल्ली मार्ग पर छिदवाना, चुनैटी, गाढ़ा, मुहम्मदपुर, वहलोलपुर, दक्षिण-पश्चिम की ओर सड़क मार्ग पर वितिया, उनाली, पश्चिम की ओर अम्बाला मार्ग पर नल्हेड़ा वक्काल, चिलकाना तथा उत्तर-पश्चिम की ओर चिलकाना मार्ग पर दतौली रांघड़ व दमकड़ी ग्रामों की सीमा तक फैला है। विकास क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 181.46 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 25.26 वर्ग किलोमीटर नगरपालिका क्षेत्र तथा 156.20 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र है।

सहारनपुर महायोजना (1961-1991) शासनदेश संख्या 1008/37-3 21 आर0बी0ओ0/63 दिनांक 5 फरवरी, 1972 द्वारा शासन ने स्वीकृत की थी। 6 अगस्त, 1967 से 17 जुलाई, 1978 तक की अवधि में नगरपालिका सीमा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ((निर्माण कार्य विनियमिन) अधिनियम 1958 के लागू न रहने के कारण नगर का विकास महायोजना के प्राविधानों के अनुसार नहीं हो सका। जुलाई 1978 में नगरपालिका क्षेत्र को पुनः विनियमित क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया गया। 11 वर्ष की अवधि में बदली हुई परिस्थितियों के कारण महायोजना के प्राविधानों के अनुसार विकास कर पाना कठिन पाया गया तथा इस सम्बन्ध में सहारनपुर हेतु पुनः महायोजना तैयार किये जाने पर विचार किया गया। सहारनपुर पुनरीक्षित महायोजना (1985-1991) 6 फरवरी, 1987 को शासन द्वारा स्वीकृत की गयी। पुनरीक्षित सहारनपुर महायोजना वर्ष 2001 तक की अवधि के लिए तैयार की गयी थी। सहारनपुर विकास प्राधिकरण की बैठक की दिनांक 01.11.1999 में पुनः सहारनपुर नगर की महायोजना वर्ष 2021 तक की अवधि के लिए तैयार करने का निर्णय लिया गया है।

1.5 महायोजना पुनरीक्षण की आवश्यकता

सहारनपुर विकास प्राधिकरण की बैठक में सहारनपुर महायोजना (2001) को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया, जो प्रमुखतया निम्न कारणों पर आधारित है :-

1. वर्तमान में लागू सहारनपुर महायोजना वर्ष 2001 की अवधि हेतु तैयार की गयी थी, जिसकी अवधि समाप्त हो

चुको है। अतः एसी स्थिति में महायोजना का पुनरीक्षण अपरिहार्य हो जाना है, यद्यपि महारनपुर महायोजना 2021 शामिल द्वारा अनुमोदित हो जाने तक वर्तमान महायोजना वैधानिक रूप में लागू रहेगी।

2. वर्तमान महायोजना में वर्ष 2001 तक की जनसंख्या 6.00 लाख होने का अनुमान किया गया था। वर्तमान महायोजना में अनुमानित जनसंख्या से लगभग 1.30 लाख कम है।
3. वर्तमान महायोजना का वर्ष 2001 तक की भावी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु 4,382.09 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हो जाने का प्रस्ताव था, जबकि वास्तविक रूप में विभिन्न भू-उपयोगों के अंतर्गत वर्ष 2004 तक 2,808.70 हेक्टेयर भूमि ही विकसित हुई है। इस प्रकार कुल प्रस्तावित महायोजना क्षेत्र का 64.10 प्रतिशत भाग ही विकसित हुआ है।
4. वर्तमान महायोजना में विभिन्न भू-उपयोगों एवं सामाजिक आर्थिक क्रियाओं को विकेंद्रीकरण नीति के तहत विभिन्न भागों में प्रस्तावित किया गया था, परन्तु नगर में आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाओं का समाव यथन निर्मित क्षेत्रों के अन्दर अथवा निकट ही हुआ है, जिस कारण महायोजना में निहित विकेंद्रीकरण नीति का प्रभाव पड़ा है।
5. गत दशक में नई तकनीक में विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी तथा निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग, मेडिकल, पैनजमेन्ट आदि उच्च शिक्षा संस्थाओं के खुलने का प्रचलन बढ़ा है, जिनकी अपनी विशेष आवश्यकतायें हैं। वर्तमान महायोजना के अंतर्गत इन सामाजिक-आर्थिक क्रियाओं हेतु कोई प्राविधान नहीं है।

उपरोक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान महायोजना, जिसके अंतर्गत वर्तमान में हुए विकास के कारण महायोजना के प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं रहे, का पुनरीक्षण आवश्यक हो गया। परिवर्तित नगराव पृष्ठभूमि के संदर्भ में नई पुनरीक्षित महायोजना वर्ष 2021 के लिए बनाने का निर्णय लिया गया। विभिन्न भू-उपयोग सर्वेक्षण, विभिन्न विभागीय स्तर के प्रस्ताव एवं सुझाव आमन्त्रित कर तथा वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए महारनपुर महायोजना 2021 को तैयार करने का कार्य मेरठ सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ को सौंपा गया, जिससे नियोजन से सम्बन्धित समस्त उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

1.6 महायोजना-2021 के उद्देश्य

महायोजना के प्रमुख उद्देश्य उल्लेखनीय है :-

1. नगर एवं उससे लगे बाहरी क्षेत्रों में होने वाले अनियोजित एवं अनियंत्रित विकास को प्रतिबन्धित करना तथा इसके भावी विकास हेतु मार्ग निर्देशित करना।
2. प्रक्षेपित जनसंख्या को युक्तिसंगत घनत्व के आधार पर नगरीय क्षेत्र में समायोजित करना।
3. सामुदायिक सुविधाओं की कमी को दूर कर जनसंख्या के आधार पर समुचित व्यवस्था हेतु निर्देशन करना।
4. उत्तम कृषि भूमि का मनमाना ढंग से अन्य उपयोगों में हो रहे परिवर्तन को रोकना।
5. उद्योग, व्यापार, सार्वजनिक सुविधाओं आदि के लिए उचित स्थान की व्यवस्था करने हेतु निर्देशन करना।
6. सुचारू एवं उचित यातायात प्रवाह हेतु एक प्रभावशाली मार्ग पद्धति का प्रस्ताव करना।
7. महारनपुर नगर की उपयुक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे एक प्रमुख क्षेत्रीय नगर के रूप में विकसित करना।

अध्याय -2

वर्तमान अध्ययन

किसी भी नगर की महायोजना तैयार करने के लिए उस नगर की जनसंख्या का अध्ययन आवश्यक है। नियोजन अर्वाधिक के अंतर्गत जनसंख्या का आकार एवं विशेषताओं के सही अनुमान लगाने के लिए वर्तमान जनसंख्या का अध्ययन ही मुख्य आधार होता है। इसी अध्ययन के आधार पर नगरीय क्षेत्र का भावी आकार एवं विभिन्न उपयोगों के लिए भूमि एवं अन्य सुविधाओं आदि की आवश्यकताओं का सही अनुमान लगाया जा सकता है। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहारनपुर नगर की जनसंख्या से सम्बन्धित विस्तृत अध्ययन किया गया है।

1.0 जनसंख्या

सहारनपुर मण्डल मुख्यालय होने के साथ-साथ सहारनपुर मण्डल का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार नगर की जनसंख्या 3,73,904 थी, जो कि वर्ष 2001 में बढ़कर 4,69,764 हो गयी। इस प्रकार दशक 1991-2001 में जनसंख्या वृद्धि दर 25.64 प्रतिशत रही। सहारनपुर नगर की जनसंख्या वृद्धि दर समीपवर्ती 3090 के अन्य नगरों की तुलना में कम रही है, जैसा कि तालिका सं० 1 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या : 1

सहारनपुर एवं अन्य समीपवर्ती नगरों की जनसंख्या वृद्धि दर का तुलनात्मक विवरण (1951-2001)

क्र० सं०	नगर	जनसंख्या					
		2001	1951-61	1961-71	1971-81	1981-91	1991-2001
1	मेरठ	11,70,985	+23.14	+26.08	+44.34	+58.36	37.80
2	सहारनपुर	4,69,764	-24.78	+21.70	-31.04	+26.59	25.64
3	गाजियाबाद	9,68,521	-	+81.29	+109.56	+80.91	89.25
4	मुजफ्फरनगर		+36.52	+30.94	+40.29	+35.67	
5	बुलंदशहर	1,76,256	+17.80	+37.70	+73.83	+22.53	39.07

किसी भी नगर की जनसंख्या की वृद्धि सम्भावित जनसंख्या वृद्धि एवं प्रजनन प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। निम्नांकित तालिका संख्या -2 में सहारनपुर नगर की पिछले 100 वर्षों (1901-2001) में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को दिखाया गया है।

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है कि नगर की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर (1941-51) में रही तथा तत्पश्चात् उक्त वृद्धि दर में दो दशकों तक कमी आती रही, यद्यपि दशक 1971-81 एवं 1981-91 में जनसंख्या वृद्धि दर में वृद्धि हुई, परन्तु दशक 1991-2001 में इस वृद्धि में पुनः कमी पायी गयी है। अभी हाल ही में सहारनपुर नगर को मण्डल

मुख्यालय बनाये जाने तथा राज्य सरकार के विभिन्न विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप यह अनुमान है कि आगामी वर्षों में नगर में आव्रजन की गति में वृद्धि आयेगी।

तालिका संख्या : 2
सहारनपुर नगर की जनसंख्या वृद्धि दर (1901-2001)

क्र०सं०	वर्ष	जनसंख्या	दशक वृद्धि	वृद्धि दर
1	1901	66,254	-	-
2	1911	62,850	-3,404	-5.14
3	1921	62,261	-580	-0.94
4	1931	78,655	16,394	+26.33
5	1941	1,05,622	26,967	+34.28
6	1951	1,48,435	42,813	+40.53
7	1961	1,82,513	36,778	+24.78
8	1971	2,25,396	40,183	+21.70
9	1981	2,95,355	69,959	+31.04
10	1991	3,73,904	78,549	+26.59
11	2001	4,69,764	95,860	+25.64

1.1 लिंगानुपात

प्रदेश एवं देश के अधिकांश नगरों की भाँति सहारनपुर नगर का लिंगानुपात कम है। इस नगर में वर्ष 2001 में स्त्रियों की संख्या प्रति 1,000 पुरुषों पर 891 रही, जैसा कि तालिका संख्या -3 में दर्शाया गया है :

तालिका संख्या : 3
सहारनपुर नगर की जनसंख्या में लिंगानुपात
(स्त्री प्रति हजार पुरुष)

क्र०सं०	वर्ष	लिंगानुपात
1	1951	805
2	1961	821
3	1971	832
4	1981	860
5	1991	882
6	2001	891

स्रोत : जनगणना प्रकाशन

तालिका संख्या -3 से स्पष्ट है कि वर्ष 1951 से अब तक प्रति हजार पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या में क्रमशः वृद्धि हुई है।

1.2 साक्षरता

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार सहारनपुर नगर की कुल जनसंख्या में 54.52 प्रतिशत लोग साक्षर थे, जिसमें पुरुषों में साक्षरता दर 59.83 प्रतिशत तथा स्त्रियों की साक्षरता दर 48.50 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सहारनपुर नगर में साक्षरता दर बढ़ कर 63.75 प्रतिशत हो गयी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 67.45 प्रतिशत तथा स्त्रियों में साक्षरता दर 59.60 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश की औसत नगरीय साक्षरता दर 50.05 प्रतिशत की तुलना में सहारनपुर नगर की साक्षरता दर अधिक है।

2.0 आर्थिक आधार

किसी भी नगर का भौतिक एवं आर्थिक विकास उस नगर में होने वाली आर्थिक क्रिया कलापों पर निर्भर करता है। नगर की आर्थिक क्रियाओं में किसी प्रकार की वृद्धि कमी या संरचना में परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से नगरके विकास को प्रभावित करता है। अतः किसी भी नगरीय क्षेत्र की महायोजना बनाने से पहले नगर की अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में अध्ययन करना आवश्यक है।

नगर के आर्थिक आधार के मुख्य सूचक नगर में कार्यरत श्रमशक्ति, जनसंख्या वृद्धि दर आदि नगर के वाह्य क्षेत्रों से सीधे सम्बन्धित होते हैं। इन्हीं सूचकों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचनाओं एवं आंकड़ों के आधार पर ही सहारनपुर नगर की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया गया है।

2.1 श्रम शक्ति

कुल जनसंख्या में श्रमिकों की भागीता दर नगर की आर्थिक स्थिति का द्योतक है। सहारनपुर नगर में वर्ष 1981 में कुल जनसंख्या का 26.90 प्रतिशत श्रमिक थे, जो कि 30प्र0 नगरीय श्रमिक दर 27.06 से कम रहा यद्यपि नगर में श्रमिकों का प्रतिशत वर्ष 1991 में बढ़कर 27.15 प्रतिशत हो गया। सहारनपुर नगर में कुल जनसंख्या में श्रमिकों की भागीदारिता दर को निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या : 4

कुल जनसंख्या में श्रमिकों का प्रतिशत

क्रमांक	वर्ष	श्रमिकों का प्रतिशत
1.	1961	26.8
2.	1971	27.11
3.	1981	26.90
4.	1991	27.15
5	2001	27.25

सहारनपुर नगर की कुल जनसंख्या में श्रमिकों की संख्या का निम्न प्रतिशत नगर में कमजोर आर्थिक आधार और आश्रित जनसंख्या के अधिक्व को प्रकट करता है। पिछले चार दशकों में नगर में श्रमिकों का भागिता दर एक समान रही है।

श्रमिकों की कुल जनसंख्या में स्त्रियों की सहभागिता लगभग नगण्य हो रही है। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार नगर में कुल स्त्री जनसंख्या में 1.72 प्रतिशत स्त्रियाँ थीं, जबकि कुल पुरुषों में से 48.72 प्रतिशत पुरुष कार्मिक थे। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कुल स्त्री जनसंख्या में से 2.64 प्रतिशत सक्रिय स्त्री कार्मिक थीं, जबकि कुल पुरुष संख्या में 48.62 प्रतिशत पुरुष कार्मिक रहे।

2.2 श्रमिक शक्ति का विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में विभाजन

सहारनपुर नगर एक औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं सेवा प्रधान नगर है। निम्नांकित तालिका संख्या -5 में सहारनपुर नगर की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में कार्यरत श्रमिकों का विभाजन दर्शाया गया है।

तालिका संख्या : 5

सहारनपुर नगर में विभिन्न आर्थिक श्रेणियों में श्रमिकों का विभाजन (1971-91)

क्रमांक	श्रेणी	1971		1981		1991	
		श्रमिकों की सं०	प्रतिशत	श्रमिकों की सं०	प्रतिशत	श्रमिकों की सं०	प्रतिशत
1	प्राथमिक	2,364	3.87	2,543	3.20	3,851	3.79
2	द्वितीयक	20,764	33.96	28,720	36.14	36,771	36.23
3	तृतीयक	37,999	62.16	48,200	60.66	60,891	59.98
	योग	61,127	100.00	79,463	100.00	1,01,513	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1991 में प्राथमिक श्रेणी में कार्यरत श्रमिकों के प्रतिशत में वृद्धि हुई है, जबकि तृतीयक श्रेणी के श्रमिकों में कमी दर्ज की गयी थी। नगर में प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के मुख्य कारण नगर में इस विशेष श्रेणी का बसना है, जिनका मुख्य व्यवसाय नगर से बाहर कृषि एवं अन्य प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहना है। उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत श्रमिकों की भागीदारी में गत तीन दशकों में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है। वर्ष 1971 में कुल श्रमिकों में से 33.96 प्रतिशत श्रमिक विभिन्न उद्योगों आदि द्वितीय श्रेणी व्यवसाय में कार्यरत थे। उनका प्रतिशत वर्ष 1991 में बढ़कर 36.23 प्रतिशत हो गया, जबकि तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य, ट्रांसपोर्ट एवं अन्य सेवायें आदि में वर्ष 1971 में कुल श्रमिकों का 62.17 प्रतिशत कार्मिक कार्यरत थे, जो कि वर्ष 1991 में घटकर 59.98 रह गया है। उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि नगर का आर्थिक आधार बहुत अधिक गतिशील नहीं है।

3.0 आवास

आवास मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है। आवास की समस्या से नगरीय क्षेत्र ही प्रभावित नहीं हैं, बल्कि दिन-प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र में भी आवासीय समस्या गम्भीर होती जा रही है। जनसंख्या की दृष्टि से आवासीय भवनों की कमी के साथ साथ भवनों की गुणात्मक स्थिति भी आवासीय समस्या का प्रमुख अंग है।

सहारनपुर नगर में आवास की समस्याएँ प्रदेश के अन्य नगरों की भाँति जटिल हैं। ये समस्याएँ केवल आवासीय इकाइयों की कमी से ही सम्बन्धित नहीं हैं, वरन् आवास की दशा, अस्वास्थ्य कर वातावरण, आवश्यक सुविधाओं के अभाव आदि से भी ग्रसित है। वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व निम्न स्तर के आवासीय विकास, मलिन बस्तियों का विस्तार आदि दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। नगर के वर्तमान आवासीय क्षेत्र मुख्यतः रेलवे लाईन के उत्तर में स्थित है जहाँ छोटे-छोटे अति संकुचित आवास हैं। खुले स्थलों का पूर्णतया अभाव है तथा संकरी गलियों की बाहुल्यता है। अधिकांश भागों में गन्दे पानी के निकास का समुचित प्राविधान नहीं है और किसी प्रभावशाली नियंत्रण के अभाव में विकास अनियंत्रित रूप से हो रहा है। नवीन आवासीय कालोनियों का विकास मुख्य रूप से पश्चिम में, दिल्ली मार्ग के उत्तर में, चिलकाना रोड, चकराता मार्ग, सिगरेट फैक्ट्री के सामने क्षेत्र में एवं नकुड़ मार्ग पर हो रहा है।

3.1 जनसंख्या घनत्व

सहारनपुर नगरपालिका परिषद सीमा के अंतर्गत अधिकांश भाग में विकास हो चुका है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार नगर का सकल जनसंख्या घनत्व 148 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर था, जो कि वर्ष 2001 में बढ़कर 186 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर हो गया है। विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार नगर का कुल 1433.0 हेक्टेयर क्षेत्र आवासीय उपयोग के अंतर्गत पड़ता है। इस प्रकार आवासीय घनत्व 327 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है।

3.2 परिवारों का औसत आकार

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार नगर की कुल जनसंख्या 4,69,764 में परिवारों की संख्या 76,996 रही। इस प्रकार परिवार का औसत आकार 6.10 व्यक्ति रहा, जैसा कि निम्नांकित तालिका संख्या -6 से स्पष्ट है।

तालिका संख्या : 6
परिवारों का औसत आकार

वर्ष	जनसंख्या	परिवार	परिवार का आकार
1971	2,25,396	41,724	5.40
1981	2,95,355	51,055	5.78
1991	3,73,904	60,779	6.15
2001	4,69,764	76,996	6.10

स्पष्ट है कि नगर में परिवार के औसत आकार में वर्ष 1971 की तुलना में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1971 में औसत आकार 5.4 व्यक्ति था, जो कि वर्ष 1991 में 6.15 व्यक्ति हो गया। इसका मुख्य कारण जनता में जागरूकता के कारण नगर में बेहतर रोजगार एवं अन्य सामाजिक एवं मूलभूत सुविधायें प्राप्त करने के लिए जनसंख्या का ग्रामों से नगर की ओर आब्रजन तथा नगरीय क्षेत्र में संयुक्त परिवारों का होना माना जा सकता है।

3.3 परिवार तथा आवासीय इकाइयों की संख्या

वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार नगर में कुल 41,724 परिवार 30,961 आवासीय इकाइयों में निवास करते थे। एक आवासीय भवन प्रति परिवार के मानक को मानते हुए 1971 में 10,763 आवासीय भवनों की कमी थी। वर्ष 2001 में नगर के परिवारों की संख्या 84.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है अर्थात् परिवारों की संख्या बढ़कर 76,996 हो गयी है, जबकि 1971-2001 की अवधि में आवासीय भवनों की संख्या में 92.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी अर्थात् आवासीय भवनों की संख्या बढ़कर 59,701 हो गयी है। आवासीय भवनों की कमी 1971 में 10,763 से बढ़कर वर्ष 2001 में 17,295 हो गयी है। नगर में बहुत से आवासीय भवनों विशेषकर पुराने क्षेत्र में तथा नई अवैध रूप से विकसित कालोनियों एवं मलिन बस्तियों में मूलभूत आवासीय सुविधायें अपर्याप्त हैं।

3.4 मलिन बस्तियाँ

सहारनपुर नगर में मलिन बस्तियों की समस्या अत्यन्त विकट है। अधिकांश मलिन बस्तियाँ रेलवे लाइन के उत्तर में पुराने आवासीय क्षेत्रों के संलग्न क्षेत्रों में विकसित हुई हैं। नगर की प्रमुख मलिन बस्तियों में शारदानगर, नवाबगंज, सुखपुरा, बेरीबाग, पुरभाई पुरवा, नुमाइश कैम्प, जनता रोड, पुराना कमेला, जजियाँ, नाजिरपुरा, मालागढ़, मलशिया कालोनी, वक्षपुरा, विषमनगर आदि मलिन बस्तियाँ आती हैं। गत दो दशकों में नगर में लगभग 150 अवैध रूप से कालोनियाँ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में आई हैं, जिनमें कोलोनाइजर्स का उद्देश्य केवल भूखण्ड विक्रय करना था। उनके द्वारा इस प्रकार विकसित की जाने वाली कालोनियों में मूलभूत सुविधायें जैसे कि जलापूर्ति, जल निकासी, मल प्रणाली, पक्की सड़क, स्ट्रीट लाईट आदि सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गयीं। ये अवैध रूप से विकसित बस्तियाँ गुणवत्ता एवं भौतिक सुविधाओं को दृष्टि से मलिन बस्तियों के समान हैं। यद्यपि शासन द्वारा एवं नगर पालिका द्वारा इनमें से अनेक मलिन बस्तियों को मलिन बस्ती सुधार योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है।

4.0 व्यापार एवं वाणिज्य

सहारनपुर नगर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग का एक प्रमुख अनाज व फल मण्डी, सेवा एवं प्रसिद्ध व्यवसायिक केन्द्र है। यह नगर अपनी जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के साथ निकटवर्ती विस्तृत ग्रामीण क्षेत्र एवं लघु नगरों 'हिन्टर लैंड' के लिए भी एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र है। 1991 की जनगणना के अनुसार नगर की कुल श्रमिक संख्या का 26.34 प्रतिशत व्यापार एवं वाणिज्य क्रियाओं में कार्यरत रहा। नगर में कुल पंजीकृत इकाइयों की संख्या 19,591 है, जिनमें व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों के अतिरिक्त 10,315 श्रमिक कार्यरत हैं।

4.1 फुटकर व्यावसायिक क्षेत्र

नगर के व्यावसायिक क्षेत्रों का विकास मुख्यतः विभिन्न मार्गों के किनारे-किनारे अनियोजित रूप से हुआ है। नगर में सुनियोजित व्यावसायिक केन्द्रों का अभाव है। नगर के मुख्य वाणिज्यिक क्षेत्र नगर के पुराने भाग में घंटाघर के चौराहे के समीप नेहरू बाजार तथा इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है, जिसके अंतर्गत मेन मार्केट, मोरगंज बाजार, पंसारी बाजार, रानकी बाजार, नया बाजार, सराफा बाजार, दीनानाथ बाजार, पुरानी मण्डी, सब्जी गेट तथा स्टेशन रोड, घंटाघर चौराहा से जनरल पोस्ट आफिस रोड, नेहरू मार्केट से नवाबगंज रोड, देवबन्द रोड चौराहा से अम्बाला रोड, रेलवे क्रॉसिंग तक, जोगियान पुल से खुमरान पुल तक के क्षेत्र हैं। नगर की कुल दुकानों में से लगभग 80 प्रतिशत दुकानें इन्हीं क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनमें खाद्य सामग्री, जनरल प्रोविजन, वस्त्र, आटोमोबाइल, मशीनरी, धातु के सामान, उपचर्या 'सर्विस', मिठाई, जलपान गृह, होटल, लकड़ी व साज सज्जा, भवन सामग्री इत्यादि की दुकानों की बाहुल्यता है। रेलवे लाईन के दक्षिण में कलेक्ट्रेट रोड पर तथा दिल्ली रोड पर व्यापारिक इकाइयों केन्द्रित हुई हैं।

अधिकांशतः निकटवर्ती क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन निर्यात हेतु किया जाता है। सहारनपुर नगर से निर्यात होने वाली वस्तुओं में सिगरेट, कागजात, तृणापट्ट, खाण्डसारी, कपड़ा, खाद्यान्न, फल, काष्ठ, पन्थीकारी युक्त फर्नीचर अलंकरण खेती के उपकरण आदि प्रमुख हैं। व्यावसायिक क्षेत्रों में अधिकांश दुकानदारों द्वारा सड़क की भूमि का अतिक्रमण किया हुआ है, जिसमें पैदल चलने वाले लोगों तथा वाहनों के यातायात में असुविधा होती है। नगर के प्रमुख विक्रय केन्द्र नगर के अति सघन क्षेत्र में हैं, जो कि 10 फिट से 25 फिट चौड़ी सड़कों पर स्थित हैं। इनमें से प्रताप बाजार, नखासा, घंटाघर बाजार, स्टेशन सड़क बाजार आदि उल्लेखनीय हैं। रेलवे लाईन के दक्षिण में कचहरी रोड पर कलेक्ट्रेट, आयकर भवन आदि कार्यालय तथा नियोजित कालोनियाँ विकसित हो जाने के कारण व्यावसायिक काम्पलेक्स एवं व्यापारिक क्रियाओं का प्रचलन बढ़ रहा है।

4.2 थोक व्यापारिक क्षेत्र

नगर में थोक व्यापार की दुकानें मुख्यतः लकड़ी के सामान, खाद्यान्नों, वस्त्र, फल एवं सब्जी आदि की हैं। नगर के अधिकतर भागों में व्यापारिक क्षेत्रों को थोक तथा फुटकर व्यापारिक क्षेत्र के आधार पर चिन्हित करना बड़ा कठिन है। खाद्यान्न के थोक व्यापार से सम्बन्धित क्रियाओं के क्षेत्र को छोड़कर शेष सब्जी तथा फल एवं अन्य क्रियाओं का क्षेत्र इन वस्तुओं में फुटकर व्यापारिक क्रियाओं के क्षेत्र के साथ-साथ परस्पर मिले-जुले रूप में विकसित हुआ है। थोक व्यापार के उल्लेखनीय क्षेत्र क्रमशः मोरगंज, नया बाजार, मण्डी समिति, अम्बाला मार्ग आदि हैं। नगर में थोक व्यापार के लिए सब्जी व फल का आयात मुख्यतः नगर के आस-पास के क्षेत्र से होता है। खाद्यान्न तथा सब्जी व फल के थोक क्रय-विक्रय से सम्बन्धित क्रियायें, जिन क्षेत्रों में होती हैं, वे चारों ओर से दूसरे अन्य भू-उपयोगों से घिरे हैं, जहाँ संकरे मार्गों द्वारा ही पहुँचा जा सकता है। इसके आस-पास इन क्रियाओं के भावी विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नहीं है। फलतः वर्तमान स्थलों पर इन व्यावसायिक क्रियाओं का विस्तार नितान्त कठिन है। इन कठिनाई के निराकरण के लिए मण्डी समिति द्वारा 51.04 एकड़ भूमि पर थोक मण्डी का निर्माण किया गया है। मण्डी में कुल 146 दुकानें हैं। यद्यपि नगर में लकड़ी का व्यापारी बड़े पैमाने पर होता है, परन्तु नगर में लकड़ी की कोई विशेष मण्डी स्थित नहीं है।

4.3 विशिष्ट व्यापारिक क्षेत्र

किन्हीं एक या दो प्रकार की वस्तुओं के क्रय-विक्रय से संबंधित दुकानों के सामूहिक रूप से एक निश्चित स्थल पर हुए विक्रय को विशिष्ट बाजार की श्रेणी में रखा गया है। नगर के पुराने मुख्य बाजार गंगा नटवाला, मंगल, इतवाइन एवं दोनानाथ बाजार, बरेलू वस्तुओं के केन्द्र हैं। प्रताप बाजार तथा नेहरू बाजार कपड़े संबंधी वस्तुओं तथा दवाओं की दुकानों के केन्द्र हैं। सर्राफा बाजार सोने एवं चाँदी के आभूषणों की दुकानों का केन्द्र है। कर्गी नाला, मड़क बाजार, काष्ट शयनासन एवं अलंकरण उपकरणों आदि के प्रमुख बाजार हैं। अम्बाला सड़क पर ईटगाह के निकट चमड़े तथा गौशत का विक्रय केन्द्र है।

4.4 गोदाम

महाराजपुर नगर का आमन्तवर्ती क्षेत्र उन्नत कृषि क्षेत्र होने के कारण नगर में गोदामों का विशेष महत्व है। नगर में राजकीय एवं अर्धराजकीय नियंत्रण के अधीन खाद्यान्न तथा अन्य सामग्रों के भण्डारण एवं संचालन उपलब्ध है। नगर में मुख्य भण्डारणार देहगढ़ नगर मार्ग, हरेटी मार्ग, चकरोत्ता मार्ग, चिलकाना मार्ग एवं दिल्ली रोड पर स्थित हैं।

5.0 कार्यालय

महाराजपुर नगर मण्डल एवं जिला मुख्यालय होने के कारण यहाँ समस्त प्रकार के मण्डलीय एवं जिला स्तरीय कार्यालय स्थित हैं। निम्नांकित तालिका 6.1 में कार्यालयों का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका संख्या : 7

महाराजपुर नगर में स्थित कार्यालयों का विवरण (वर्ष 2001)

क्र०सं०	कार्यालय का विवरण	कार्यालय की सं०	कार्यरत अधिकारी/कर्मचार की सं०
1	केन्द्रीय कार्यालय	6	3,226
2	अर्ध केन्द्रीय कार्यालय	46	2,264
3	राजकीय कार्यालय	81	11,354
4	अर्द्ध-राजकीय कार्यालय	15	1,288
5	स्थानीय निकाय कार्यालय	8	1,572
	योग	156	19,704

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि नगर में सर्वाधिक राज्य सरकार के कार्यालय स्थापित हैं, जिनकी संख्या 81 है। अर्ध-केन्द्रीय एवं अर्ध राजकीय कार्यालयों की संख्या 61 है। वर्ष 1983 के अनुसार नगर में कुल 76 कार्यालय ही स्थापित थे। इस प्रकार 18 वर्षों में विभिन्न कार्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय

वृद्धि हुई है। वर्ष 1981 में जहाँ लगभग 10,000 कर्मचारी विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत थे, वहीं वर्ष 2001 में इनकी संख्या बढ़कर लगभग दो गुना अर्थात् 19,704 हो गयी है। सहारनपुर नगर 3090 का मुख्य औद्योगिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र होने के फलस्वरूप यहाँ पर 100 से अधिक व्यापारिक एवं औद्योगिक संस्थाओं के कार्यालय भी कार्यरत हैं।

5.1 कार्यालयों की स्थिति

विभिन्न राजकीय एवं अर्ध-राजकीय कार्यालय नगर के विभिन्न भागों में बिखरे हुए हैं। नगर में स्थित कार्यालयों में से अधिकतर कार्यालय सिविल लाईन क्षेत्र में हैं। कचहरी, कलेक्ट्रेट, पुलिस लाईन, मण्डल कार्यालय, औद्योगिक विभाग कार्यालय, विद्युत कार्यालय, परिवहन निगम आदि प्रमुख हैं। नगर के पुराने भाग में नगरपालिका परिषद, कोतवाली, टेलीफोन एक्सचेंज आदि कार्यालय हैं। जिला जेल, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, रिमाउण्ट डिपो आदि कार्यालय देहरादून मार्ग पर स्थित है। रेलवे विभाग के अधिकांश कार्यालय रेलवे लाईन के निकट तथा खानआलमपुरा में स्थित हैं। इनके अतिरिक्त नगर के विभिन्न भागों में अन्य दूसरे राजकीय एवं अर्ध-राजकीय तथा स्थानीय निकाय के कार्यालय छिटपुट रूप से स्थित हैं। अन्य नगरों की भाँति सहारनपुर नगर में बहुत से कार्यालय संगठित रूप से स्थित नहीं हैं तथा ये कार्यालय विभिन्न आवासीय एवं व्यापारिक क्षेत्रों में निजी भवनों में स्थित हैं। इन कार्यालयों के पास पार्किंग, खुले स्थल आदि सुविधाओं का अभाव है तथा ये भवन कार्यालय उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं हैं।

6.0 उद्योग

किसी भी सुदृढ़ नगरीय विकास में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगर में आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन होता है। उद्योगों के विकास से स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर तो उपलब्ध होते हैं साथ ही अन्य प्रमुख आर्थिक क्रियाओं जैसे कि व्यापार एवं वाणिज्य, यातायात एवं परिवहन, निर्माण एवं अन्य सेवाओं का स्वतः विकास हो जाता है। अतः नगर के आर्थिक आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए उद्योगों के विकास की विशेष आवश्यकता होती है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय नगर में वृहद एवं मध्यम आकार की लगभग 12 इकाइयाँ थीं। (कृषि समृद्ध) क्षेत्र के निकट तथा वन सम्पदा से परिपूर्ण हिमालय पर्वत श्रृंखला के निकट होने के कारण औद्योगिक केन्द्र के रूप में नगर का विकास तीव्र गति से हुआ है। यह नगर लकड़ी की पच्चीकारी कार्य के लिए विश्वप्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त नगर में कृषि आधारित उद्योग जी0आई0 पाईप आदि के उद्योग विकसित हुए हैं।

सहारनपुर नगर में वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार कुल श्रमिकों का 31.34 प्रतिशत औद्योगिक श्रमिकों के रूप में क्रियाशील था। औद्योगिक श्रमिकों में घरेलू उद्योग तथा अन्य उद्योगों में कार्यरत श्रमिक आते हैं।

1981 की जनगणना के अनुसार औद्योगिक कार्मिकों का प्रतिशत बढ़कर 33.39 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1991 में यह प्रतिशत 1981 के स्तर पर रहा है। वर्ष 2001 में सहारनपुर नगर में कुल 9,960 औद्योगिक इकाइयाँ क्रियाशील हैं, जिनमें 50,732 श्रमिक कार्यरत हैं। इस प्रकार वर्ष 1991-2001 में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गयी है।

6.1 उद्योगों का प्रकार

सहारनपुर नगर में वर्ष 2001 में पंजीकृत विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का विवरण तालिका संख्या 8 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या : 8
सहारनपुर नगर में उद्योगों का विवरण

क्रमांक	उद्योगों का विवरण	इकाइयों की संख्या	श्रमिकों की संख्या
1	वृहद एवं मध्यम उद्योग	33	10,342
2	लघु उद्योग	3,214	15,186
3	कुटीर उद्योग	6,713	25,204
	कुल	9,960	50,732

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि नगर में अधिकांश संख्या में कुटीर एवं लघु उद्योग हैं। सहारनपुर नगर में वर्तमान औद्योगिक इकाइयों में खाद्य सामग्री तथा कपड़ा उद्योग, लकड़ी एवं फर्नीचर, कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, रासायनिक, भवन निर्माण, कृषि यन्त्र, विद्युत उपकरण सेवा उद्योग इत्यादि प्रमुख हैं। वृहद उद्योग में आईटी0सी0 सिगरेट फैक्ट्री, स्टार पेपर मिल, गत्ता मिल, सहारनपुर शूगर मिल, कपड़ा मिल प्रमुख हैं।

6.2 उद्योगों की स्थिति

नगर में लकड़ी की पच्चीकारों का कार्य मुख्य रूप से लघु एवं लघुत्तर तथा कुटीर उद्योग के रूप में विकसित है। ये इकाइयाँ नगर के घने बसे क्षेत्र में यत्र-तत्र स्थित हैं, जिसके कारण सम्बन्धित क्षेत्रों में अनन्त प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं। यह कार्य घने बसे क्षेत्र की संकरी गलियों और छोटे भाकार के घरों में स्थित होने के कारण यहाँ पार्किंग सुविधाओं, लोडिंग-अनलोडिंग सुविधाओं तथा खुले क्षेत्रों का पूर्णतया अभाव है। इन कुटीर इकाइयों की संकीर्णता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि अधिकांश इकाइयों का क्षेत्रफल 75 से 200 वर्ग फीट है, जिनमें एक साथ 8 से 15 श्रमिक कार्यरत हैं।

वृहद एवं मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयाँ दिल्ली रोड, देहरादून रोड, देवबन्द रोड, रेलवे लाइन के दक्षिण भाग में स्थित हैं। दिल्ली रोड पर नियोजित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई है।

7.0 सामुदायिक सुविधायें

सामुदायिक सुविधाओं से तात्पर्य उन आवश्यकताओं से है, जो सामान्य जन समुदायों के लिए आवश्यक होता है। इन सुविधाओं के अभाव में जीवन निर्वाह असम्भव सा है। किसी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि वहाँ के नागरिकों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाओं उपलब्ध हों। नगरीय जीवन की ऐसी आवश्यकताओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, खुले स्थल पार्क प्रमुख हैं।

7.1 शैक्षिक सुविधायें

वर्ष 1989 के विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार सहारनपुर नगर में 26 हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं कालेज स्थित थे, जिनकी संख्या वर्ष 2001 के विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार 33 है। इस प्रकार नगर में वर्ष 2001 में 14,233 जनसंख्या पर एक हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट स्तर का विद्यालय है। नगर में कुल 3 डिग्री कालेज हैं। पूर्व महायोजना तैयार करते समय वर्ष 1983 में भी 3 महाविद्यालय ही थे। इस प्रकार नगर में लगभग 1.56 लाख जनसंख्या पर एक महाविद्यालय है।

नगर में एक पेपर इन्स्टीट्यूट, एक पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ इन्स्टीट्यूट, एक अरबी भाग का उच्च शिक्षण संस्थान, एक आई०टी०आई० तथा एक महिला पोलिटेक्निक विद्यमान हैं। एक पोलिटेक्निक दिल्ली रोड पर निर्माणाधीन है। विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार नगर में कुछ ही शिक्षण संस्थायें हैं, जिनके पास क्रीड़ा स्थल उपलब्ध हैं। कुछ शिक्षण संस्थायें नगर के अत्याधिक घने बसे क्षेत्र एवं बाजार में स्थित हैं, जिनमें आने-जाने के लिए छत्रों एवं जन सामान्य को असुविधा भी होती है। कुछ शिक्षण संस्थाओं के भवनों की दशा सन्तोषजनक नहीं है। बदलते सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश में नगर में कम्प्यूटर शिक्षण संस्थाओं का आगमन हुआ है। अधिकतर ऐसी कम्प्यूटर शिक्षण संस्थायें आवासीय क्षेत्रों में निजी भवनों में किराये पर कार्यरत हैं।

7.2 स्वास्थ्य सुविधायें

सहारनपुर नगर में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा के अंतर्गत दो जिला चिकित्सालय एक सामान्य तथा एक महिलाओं का है, जिनमें क्रमशः 200 एवं 130 शैय्यायें उपलब्ध हैं। इन चिकित्सालयों के अतिरिक्त एक टी०बी० सेनीटोरियम, एक फैमली प्लानिंग सेन्टर, चार डिस्पेन्सरी भी उपलब्ध हैं। नगर में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय, होम्योपैथी चिकित्सालय तथा 6 परिवार एवं मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र भी स्थित हैं। नगर में एक पशु चिकित्सालय भी है। इन सार्वजनिक चिकित्सालयों के अतिरिक्त पुलिस कर्मचारियों हेतु एक चिकित्सालय तथा एक जिला जेल के अन्दर जेल कर्मचारियों/कैदियों हेतु है। नगर में एक रेलवे चिकित्सालय भी है। नगर में कुछ धर्मार्थ चिकित्सालय भी हैं। सार्वजनिक चिकित्सालयों के अतिरिक्त नगर में निजी नर्सिंग होम एवं क्लीनिक भी उपलब्ध हैं जिनमें भी शैय्यायें उपलब्ध होती हैं। ये नर्सिंग होम अधिकतर दिल्ली रोड, देहरादून रोड, चकरोता रोड, चिलकानारोड एवं नगर के आन्तरिक घने क्षेत्र में स्थित हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के चिकित्सालयों में तथा निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम में विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 800 शैय्यायें उपलब्ध हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार नगर में लगभग 550 जनसंख्या पर एक शैय्या उपलब्ध है। नगर में उपलब्ध चिकित्सालय केवल नगरों की ही नहीं, अपितु नगर के आस-पास के क्षेत्रों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

7.3 अन्य सुविधायें

7.3.1 डाक, तार एवं टेलीफोन सुविधायें

वर्तमान में नगर में एक प्रधान डाकघर एवं डाक व तारघर, 27 उप-डाकघर तथा 6 टेलीफोन एक्सचेंज हैं। ये टेलीफोन एक्सचेंज एवं उप-डाकघर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं। टेलीफोन विभाग द्वारा

वर्तमान में 34.33। कनेक्शन प्रदान किये गये हैं। नगर में लगभग 565 पीओमें0ओ0 उपलब्ध हैं। नगर में स्थित अधिकांश उप-घाकघर-व्यावसायिक क्षेत्रों में निजी भवनों में किराये पर स्थित हैं।

7.3.2 पुलिस स्टेशन

वर्तमान में नगर में एक कोतवाली एवं 5 पुलिस स्टेशन तथा 20 पुलिस चौकियाँ हैं। इस प्रकार नगर में 78000 जनसंख्या पर एक पुलिस स्टेशन एवं लगभग 23,500 जनसंख्या पर एक पुलिस चौकी उपलब्ध है। पूर्व महायोजना तैयार करने के साथ 1983 में सहारनपुर नगर में 6 पुलिस थाने एवं 15 पुलिस चौकियाँ थीं। इस प्रकार दो दशकों में नगर में कोई नया पुलिस थाना स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि नगर में कार्य व्यवस्था को सूचारू रूप में बनाये रखने के लिए नगर के विभिन्न भागों में 5 अतिरिक्त पुलिस चौकियाँ स्थापित की गयी हैं। ये पुलिस थाने एवं पुलिस चौकियाँ लगभग सरकारी भवनों में ही स्थित हैं।

7.3.3 अग्निशमन सेवा

वर्तमान में नगर में दो अग्निशमन केंद्र उपलब्ध हैं। इन केंद्रों में कुल 6 अग्निशमन वाहन हैं। एक अग्निशमन केंद्र अम्बाला मार्ग के निकट नगर के पुराने भाग में स्थित है, दूसरा अग्निशमन केंद्र बेहत रोड पर स्थित है। ये अग्निशमन केंद्र नगरीय आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार निकटवर्ती नगरों की अग्निशमन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

7.4 मनोरंजन सुविधाएं

7.4.1 पार्क एवं क्रीडाम्थल

किस्मों भी नगर में पार्क, क्रीड़ा तथा खुले स्थानों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो नागरिकों को शुद्ध वायु, खेल-कूद, प्राकृतिक सौन्दर्य तथा व्यायाम के अवसरों को उपलब्ध करवाता है।

वर्तमान में नगरपालिका के क्षेत्र के अंतर्गत कुल 31 पार्क एवं खुले स्थल उपलब्ध हैं, जिनमें अम्बाला मार्ग पर गाँधीपार्क, स्पोर्ट्समैन, जुबली पार्क तथा चक्रोत्ता मार्ग पर बोटिनिकल गार्डन तथा दहरादन रोड पर अम्बेडकर पार्क प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त नगर में लगभग 16.90 हेक्टेयर क्षेत्रफल का अज्ञात नाम स्थल है।

7.4.2 अन्य मनोरंजन सुविधायें

वर्तमान नगर में 11 सिनेमा हॉल उपलब्ध हैं। ये सिनेमा गृह अधिकतर अम्बाला मार्ग एवं घंटाघर क्षेत्र में स्थित हैं। इन सिनेमाघरों में लगभग 9,000 सीटें उपलब्ध हैं। नगर में पालिका स्वामित्व के 6 जनमंच भवन 'सामुदायिक हॉल' हैं। नगर में क्लब 'रेलवे क्लब, आई0टी0आई0 क्लब, सहारनपुर क्लब, रोटरी एवं त्नायन्स क्लब, जेसॉम क्लब' उपलब्ध हैं। पेंपर टेक्नोलॉजी में भी एक ऑडिटीोरियम उपलब्ध है। नगर में 3 पुस्तकालय स्थित हैं।

7.5 मनोरंजन सुविधाएं

7.5.1 जलापूर्ति

नगर में पेयजल आपूर्ति के प्रमुख साधन नलकूप एवं हैंडपम्प हैं। नगर में वर्तमान में जलापूर्ति 31

नलकूपों द्वारा की जाती है। इन नलकूपों से नगर को प्रतिदिन 69,616 किलोलीटर जलापूर्ति की जाती है, जबकि इन नलकूपों की क्षमता 89,424 किलोलीटर है। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में 7,225 किलोलीटर क्षमता के 8 ओवर हैड टैंक उपलब्ध हैं। नगरपालिका द्वारा 6 नलकूपों का निर्माण कराया जा रहा है। जल निगम द्वारा भी एक ओवर हैड टैंक का निर्माण कराया जा रहा है। नगर में कुल 27,780 आवासीय कनेक्शन तथा 2,800 व्यापारिक एवं औद्योगिक जलापूर्ति के कनेक्शन हैं। नगर पालिका परिषद द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 1,600 सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट का निर्माण भी कराया गया है।

नगर में वर्तमान में 127 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल की आपूर्ति की जाती है, जो कि पूर्व महायोजना तैयार करते समय वर्ष 1983 में 156 ली0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी। इस प्रकार दो दशकों में नगर में वास्तविक पेयजल आपूर्ति में कमी आई है।

7.5.2 विद्युत आपूर्ति

नगर में विद्युत आपूर्ति 30प्र0 विद्युत निगम की 132 के0वी0 लाईन द्वारा होती है। नगर में 8 विद्युत उपकेन्द्र उपलब्ध हैं, जिनसे लगभग 100 एम0वी0ए0 विद्युत आपूर्ति की जाती है। वर्तमान में नगर में 62,432 आवासीय, 15,217 व्यावसायिक 998 उद्योग एवं 22 बड़े एवं भारी उपभोक्ता कनेक्शन हैं। इस प्रकार नगर में कुल 79,669 विद्युत कनेक्शन हैं। वर्ष 1983 में इनकी संख्या 35,159 थी। इस प्रकार पिछले दो दशकों में दुगने से भी अधिक विद्युत कनेक्शनों में वृद्धि हुई है।

7.5.3 जल निकासी एवं मल निस्तारण

वर्तमान में नगर के दो तिहाई भाग में सीवेज प्रणाली है, शेष 1/3 भाग पाँवधोई एवं ढमोला नदियों के निकट मलिन बस्तियों का है, जहाँ पर सीवेज व्यवस्था नहीं है। नगर के भीतर से होकर दो प्रमुख नाले ढमोला एवं पाँवधोई में बहते हैं। नगर का सम्पूर्ण ढाल इन नदियों की ओर ही है। नगर के मध्य से करेगी नाला एवं अन्य कई छोटे नाले गुजरते हैं। ये नाले कई स्थानों पर या तो टूट गए हैं या मिट्टी रेत से भर गये हैं, जिसके फलस्वरूप इनसे गन्दे जल का निस्तारण का प्रभाव सुगमता से नहीं होता है। इन नालों की कई वर्षों तक उचित सफाई व्यवस्था न होने के कारण गन्दा जल विशेषकर वर्षाकाल में ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे नगर में अस्वास्थ्यकर वातावरण फैलता है। नगर के दक्षिण में ढमोला नदी के निकट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विद्यमान है।

7.5.4 कूड़ा निस्तारण

सहारनपुर नगर में कूड़ा-करकट ढोने का काम गाड़ियों एवं ट्रैक्टर-ट्रोलियों व हथठेला तथा टोकरी व्यवस्था द्वारा किया जाता है। यद्यपि पालिका क्षेत्र में डम्पिंग ग्राउण्ड उपलब्ध है, परन्तु आबादी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाने के कारण अवैध कब्जा होने की प्रवृत्ति बनी हुई है, जिसके फलस्वरूप इस डम्पिंग ग्राउण्ड का क्षेत्रफल नगर की आवश्यकता को पूर्ण करने में सक्षम नहीं रहा है। पालिका द्वारा नगर के बाहर असुरक्षित रोड साइड स्थलों पर कूड़ा-करकट डम्प किया जा रहा है।

8.0 यातायात एवं परिवहन

यातायात मार्गों एवं परिवहन प्रणाली का किसी भी नगर के विकास में वही स्थान है, जो हमारे शरीर में नाड़ी प्रणाली का होता है। नगर का विकास उस नगर में उपलब्ध यातायात सुविधाओं एवं परिवहन संरचना पर

निभर करना है। नगर का केवल भौतिक विकास ही नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक क्रियाएँ आदि भी नगर में उपलब्ध यातायात सुविधाओं तथा परिवहन प्रणाली द्वारा प्रभावित होती हैं। नगर के विभिन्न भागों का सम्यक् विकास के लिये आवश्यक है कि विद्यमान मार्गों पर यातायात के सुगम प्रवाह में अवरोध को स्थितियों में बचाया जा सके।

महारनपुर नगर के मार्गों का नियोजित एवं श्रेणीबद्ध विकास न होने के कारण अधिकांश भाग संकरे तथा वर्तमान यातायात प्रकार की दृष्टि से अपर्याप्त कहे जा सकते हैं।

8.1 परिवहन संरचना

यातायात प्रवाह की दृष्टि से महारनपुर नगर के वर्तमान मार्गों को निर्णायक श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है।

1. क्षेत्रीय मार्ग
2. मुख्य नगरीय मार्ग
3. स्थानाय मार्ग

8.1.1 क्षेत्रीय मार्ग

इस श्रेणी के अंतर्गत प्रमुख रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 73 पश्चिम में अम्बाला तथा उत्तर पूर्व में देहरादून नगर को सम्बद्ध करता है। प्रान्तीय राजमार्ग संख्या - 5 दक्षिण में दिल्ली तथा उत्तर में चक्रेत को सम्बद्ध करता है। महारनपुर चिलकाना मार्ग, महारनपुर नकुड़ मार्ग एवं महारनपुर देवबन्द मार्ग, मुख्य जनपद मार्ग हैं। इन मार्गों का विवरण निम्नवत् है :-

1. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 नगर के भीतर से होकर गुजरता है। यह मार्ग अन्तरक्षेत्रीय यातायात के साथ-साथ नगरीय यातायात के भी प्रयोग में आता है। इस मार्ग की नगर में लम्बाई 13.3 किलोमीटर है। इस मार्ग के किनारे नगर को प्रमुख केन्द्रीय क्रियाएँ, जैसे कि नगर पालिका परिषद कार्यालय, सिनेमाहॉल, बैंक, होटल व रेस्टोरेंट अनेक प्रकार के उद्योग तथा अन्य व्यापारिक संस्थान स्थापित हैं।
2. प्रान्तीय राजमार्ग संख्या 57 दूसरा महत्वपूर्ण मार्ग है, जो कि नगर के मध्य से गुजरता है। इस मार्ग की नगर में लम्बाई 7.7 किलोमीटर है। इस मार्ग पर नगर के प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों के स्थित होने के साथ-साथ कलेक्ट्रेट, कोर्ट, पुलिस लाइन, मण्डलायुक्त जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यालय, बैंक, सिनेमा, गैर-जोड़ वर्कशाप इत्यादि स्थापित हैं।
3. महारनपुर चिलकाना मार्ग मण्डी समिति के पास से प्रारम्भ होकर उत्तर पश्चिम दिशा में चिलकाना नगर की ओर जाता है। इस मार्ग की नगर में लम्बाई 1.1 किमी० है। इस मार्ग के साथ-साथ नये आवासीय क्षेत्र विकसित हो रहे हैं।
4. महारनपुर नकुड़ मार्ग अम्बाला देहरादून मार्ग के उपरली सेतु के नीचे से प्रारम्भ होकर दक्षिण पश्चिम दिशा में नकुड़ को जाता है। यह मार्ग प्रारम्भ में ऊपर सेतु के पास बहुत ही संकरा है। इस मार्ग की नगर में लम्बाई 1.8 किमी० है। इस मार्ग के दोनों ओर आवासीय बस्तियाँ विकसित हो रही हैं।
5. महारनपुर देवबन्द मार्ग जिला अस्पताल के निकट उपरली सेतु के नीचे से प्रारम्भ होकर म्यान पण्ड मिल्स के समूह देवबन्द को जाता है। इस मार्ग की नगर में कुल लम्बाई 3.2 किलोमीटर है। यह मार्ग मूलतः महारनपुर को देवबन्द से जोड़ने हेतु शार्टकट रास्ता है।

8.1.2 मुख्य नगरीय मार्ग

ये मार्ग नगर के विभिन्न केन्द्रीय क्रियाओं के स्थलों को सम्बद्ध करने तथा आन्तरिक यातायात प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित मार्ग उल्लेखनीय हैं।

1. **अम्बाला मार्ग पर उपरली सेतु के पास की लेबल क्रासिंग से रेन मण्डी समिति के पास चिलकाना रोड तक** - इस मार्ग की कुल लम्बाई 2.7 किलोमीटर है। इस पर नवसंचालित मण्डी समिति स्थित है। इस्लामियाँ कालेज भी इसी मार्ग पर स्थित है। यह मार्ग नगर के निर्मित पश्चिमी भाग में फैला है।
2. **ईदगाह से ढोलीखाल मुहल्ले तक** - यह मार्ग 0.96 किलोमीटर लम्बा है। इस मार्ग पर अधिकतर लकड़ी पर नक्कासी की दुकानें स्थित हैं।
3. **इस्लामियाँ कालेज चौराहे से चिलकाना मार्ग पर जैन मन्दिर के पास तक** - यह मार्ग 1.9 किलोमीटर लम्बा है। इस मार्ग पर अधिकतर आवासीय क्षेत्र स्थित हैं।
4. **रेलवे स्टेशन से जे0वी0 कालेज तक** - इस मार्ग की लम्बाई 1.8 किलोमीटर है। इस मार्ग पर ऐतिहासिक लकड़ी पर नक्काशी की दुकानें व कुटीर उद्योग स्थित हैं। नगरपालिका एवं टेलीफोन एक्सचेंज जैसे महत्वपूर्ण कार्यालय भी इसी मार्ग पर स्थित हैं।
5. **रेलवे स्टेशन से घंटाघर चौराहा** - इस मार्ग की लम्बाई 0.4 किलोमीटर है। इस पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का बस अड्डा स्थित है। इस मार्ग पर मुख्यतया: कृषि यन्त्रों व अन्य तत्सम्बन्धी दुकानें एवं होटल व रेस्टोरेन्ट स्थित हैं।
6. **नेहरू मार्केट के पास चकराता मार्ग से मोरगंज चौराहे तक** - यह मार्ग अत्याधिक महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग पर मेन मार्केट, किराना बाजार, नया बाजार जैसे महत्वपूर्ण बाजार स्थित हैं। इस मार्ग की लम्बाई 1 किलोमीटर है। इस मार्ग पर कपड़ा, फल एवं सब्जी तथा अन्य वस्तुओं के थोक व्यापार स्थित हैं।
7. **मोरगंज चौराहे से चिलकाना बस अड्डा तक** - इस मार्ग के दोनों ओर विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं। इस मार्ग की लम्बाई 0.7 किलोमीटर है।
8. **देहरादून मार्ग पर ग्राम मकीरपुर के पास से चिलकाना मार्ग पर अरबिया मद्रसा तक** - यह मार्ग स्वीपर कालोनी, गोपाल नगर, माधोनगर, तिलकनगर जैसे प्रमुख आवासीय क्षेत्रों से होकर मोरगंज चौराहा होते हुए जाता है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 4.1 किलोमीटर है।
9. **मण्डी समिति के पास चिलकाना मार्ग से धोबीघाट तक** - इस मार्ग के साथ मुख्यतया फुटकर दुकानें तथा आवासीय क्षेत्र स्थित हैं। इसकी लम्बाई 1.2 किलोमीटर है।
10. **सिविल हॉस्पिटल के पास स्टार पेपर मिल मार्ग से मोतिया महल के पास चकराता मार्ग तक** - यह मार्ग मंगल नगर, ज्वाला नगर एवं नवाबगंज होते हुए जाता है। ढमोला नदी पर इस मार्ग पर पुल का निर्माण हो जाने से उपरोक्त मुहल्लों के लोगों को अत्याधिक सुविधा हो गयी है। इस मार्ग की लम्बाई 2.6 किलोमीटर है।

11. **अम्बाला मार्ग पर दर्पण सिनेमा के पास से रजवाहा मार्ग पर सिगरेट फैक्ट्री तक** यह मार्ग लक्ष्मीनगर, रामचन्द्रपुर, खलामी लाईन, आवासीय क्षेत्रों से होकर जाता है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 1.5 किलोमीटर है।
12. **खलामी लाईन मार्ग के पास दर्पण सिनेमा - रजवाहा मार्ग से प्रारम्भ होकर दिल्ली मार्ग पर गण्डम परिवहन निगम कार्यशाला तक - वर्तमान समय में कार्यशाला के पास उपरली सेतु के वाहनों के आवागमन हेतु उपयुक्त न रह जाने के कारण अधिकतर यातायात इसी मार्ग से होकर जाता है। इस मार्ग की लम्बाई 1.5 किलोमीटर है।**
13. **दिल्ली मार्ग पर सिविल कोर्ट के सामने से कोतवाली होते हुए सिविल हॉस्पिटल के पास स्टार पेपर मिल मार्ग तक** इस मार्ग पर गिरजाघर के पास रेलवे लाईन पर उपरली सेतु का निर्माण किया जा चुका है। इस मार्ग की लम्बाई 1.5 किलोमीटर है। उपरली सेतु के निर्माण के फलस्वरूप यह एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य करता है।
14. **उपरली सेतु के पास अम्बाला मार्ग से प्रारम्भ होकर रजवाहों के साथ दिल्ली मार्ग तक** यह मार्ग सिगरेट फैक्ट्री के साथ होने हुए जाता है। हालांकि इस मार्ग की चौड़ाई कहीं-कहीं अत्यधिक कम है फिर भी नहर के साथ-साथ सौधा होने के फलस्वरूप यह महत्वपूर्ण बाई-पाम मार्ग के रूप में कार्य करता है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 3.7 किलोमीटर है।

8.1.3 स्थानीय मार्ग

उपर्युक्त मुख्य नगरीय मार्गों के अतिरिक्त नगर में अनेक स्थानीय मार्ग हैं। जो विभिन्न क्षेत्रों में आवागमन के लिए उपयोग में लाये जाते हैं। विभिन्न आवासीय क्षेत्रों को कार्यस्थलों से जोड़ने में भी इन मार्गों की प्रमुख भूमिका है। नगर सीमा के अंतर्गत पक्के एवं कच्चे मार्गों की कुल लम्बाई 210 किलोमीटर है जबकि खडन्जा एवं सी0सी0 रोड की लम्बाई 221 किलोमीटर है।

8.2 सड़क परिवहन

8.2.1 यातायात

सहारनपुर नगर में धीमी गति से चलने वाले वाहनों जैसे कि साइकिल, रिक्शा, तेला बैलगाड़ी एवं बुगी आदि की अधिकता है। ईंधन चालित तेज गति के वाहनों में स्कूटर, मोटरसाइकिल, जीप, कार का भाग अन्य बड़े मोटर वाहनों की तुलना में अधिक है। दिल्ली चकरौता मार्ग, अम्बाला-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसों एवं ट्रकों आदि बड़े वाहनों का आवागमन अधिक संख्या में होता है।

8.2.2 यातायात प्रवाह सर्वेक्षण

विभाग द्वारा नगर के 6 प्रमुख क्षेत्रीय मार्गों, जैसे कि अम्बाला रोड, बिलकाना रोड, चक्रगता रोड, देहरादून रोड, देवबन्द रोड एवं दिल्ली रोड पर यातायात प्रवाह 'ट्रैफिक वोल्यूम' सर्वेक्षण करवाया गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना तालिका संख्या 9 में दर्शायी गयी है।

तालिका संख्या : 9
सहारनपुर नगर में विभिन्न क्षेत्रीय मार्गों पर यातायात सर्वेक्षण

क्र. सं०	मार्ग का नाम	वाहनों का प्रकार					कुल योग वाहन	कुल योग पी०सी०यू०
		बस/ट्रक	कार एवं हल्के वाहन	दो पहिया वाहन	अन्य धोमी गति वाहन	साईकिल		
1.	देहरादूनमार्ग	2,012 (6,036)	3,186 (3,186)	4,161 (2,081)	219 (1,514)	3,909 (1,955)	14 (84)	13,501 (14,856)
2.	देवबन्द मार्ग	75 (225)	831 (831)	1,689 (845)	75 (450)	1,893 (947)	2 (12)	4,565 (3,310)
3.	दिल्ली रोड	651 (1,953)	3,480 (3,480)	5,601 (2,801)	185 (1,110)	5,320 (2,660)	6 (36)	15,243 (12,040)
4.	चक्रोता मार्ग	609 (1,827)	2,132 (2,132)	5,275 (2,638)	372 (2,232)	8,760 (4,380)	17 (102)	17,165 (13,311)
5.	बिलकाना मार्ग	270 (810)	894 (894)	1,775 (888)	265 (1,590)	3,319 (1,660)	2 (12)	6,525 (5,854)
6.	अम्बाला मार्ग	1,462 (4,386)	2,175 (2,175)	2,267 (1,134)	(0) (606)	1,827 (914)	36 (216)	7,868 (9,431)
	योग	5,079 (15,237)	12,698 (12,698)	20,768 (10,387)	1,217 (7,502)	25,028 (12,576)	77 (462)	64,867 (58,802)

कोष्ठकों में पी. सी. यू. संख्या दर्शायी गयी है।

जैसा कि उपरोक्त संख्या 9 से स्पष्ट है कि बस, ट्रक आदि भारी वाहनों का आवागमन देहरादून मार्ग पर सर्वाधिक रहता है, जहाँ 2,012 भारी वाहन गुजरते हैं। अम्बाला मार्ग पर 1,462 भारी वाहन गुजरते हैं। भारी वाहनों का आवागमन सबसे कम देवबन्द मार्ग पर रहता है, जहाँ तक कार एवं हल्के वाहन तथा दो पहिया वाहन का प्रश्न है, उनका सर्वाधिक आवागमन दिल्ली मार्ग पर होता है। साईकिल, बैलगाड़ी, बुग्गी आदि धीमी गति से चलने वाले वाहनों का सर्वाधिक आवागमन चक्रोता मार्ग पर रहता है।

उक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि यद्यपि सर्वाधिक समस्त प्रकार के '17,165' वाहन चक्रोता मार्ग पर तथा दूसरे नम्बर पर 15,243 वाहन दिल्ली रोड पर तथा तीसरे नम्बर पर 13,501 वाहन देहरादून मार्ग पर आवागमन करते हैं, परन्तु विभिन्न प्रकार के वाहनों को पैसिंजर कार यूनि 'पी०सी०यू०' में परिवर्तित करने पर स्पष्ट होता है कि देहरादून मार्ग पर सर्वाधिक पी०सी०यू० 14,856 दूसरे नम्बर पर 13,311 पी०सी०यू० चक्रोता मार्ग पर तथा 12,040 पी०सी०यू० दिल्ली मार्ग पर आवागमन करते हैं। सबसे कम वाहनों का आवागमन देवबन्द मार्ग पर होता है।

8.2.3 क्षेत्रीय बस सेवा

सहारनपुर नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 तथा प्रान्तीय राजमार्ग संख्या 57 पर स्थित होने के कारण 3090 राज्य के अन्य नगरों तथा समीपवर्ती राज्यों के विभिन्न नगरों से राजकीय एवं प्राइवेट बस सेवा में सम्बद्ध है।

नगर में रेलवे स्टेशन के बाहर 30प्र0 राज्य परिवहन निगम का एक बस स्टैंड है, जिसमें कुल 87 बसें सम्बद्ध हैं। यह बस स्टैंड बहुत ही छोटे आकार का है तथा अधिकांश बसें मुख्य रेलवे मार्ग पर ही खड़ा रहती हैं, जिससे यातायात के सुगम प्रवाह में अवरोध को स्थिति हमेशा बनी रहती है। इस बस स्टैंड में प्रांतीय अलग-अलग मार्गों पर 270 बसें गुजरती हैं, जो नगर के अलग-अलग मार्गों पर स्थित हैं। इन निजी बस स्टैंडों में 276 बसें सम्बद्ध हैं, जिनके द्वारा प्रतिदिन लगभग 1,040 ट्रिप्स अलग-अलग रूटों पर लागू की जाती हैं। इन निजी बसों में प्रतिदिन लगभग 35,550 यात्री सफर करते हैं।

8.2.4 टुक सेवा

सहारनपुर नगर में कोई व्यवस्थित ट्रांसपोर्ट एवं टुक टर्मिनल विद्यमान नहीं है। ट्रांसपोर्ट एजेंसियों नगर के मुख्य मार्गों विशेषकर पुराना मण्डों के आस-पास पौवधोई नदी के किनारे दोनों ओर के मार्गों एवं अम्बाला मार्ग पर स्थित है। इन टुक एजेंसियों के अधीन 3,000 टुकों को सेवा उपलब्ध है। अभी तक एजेंसियों के पास समुचित स्थान का अभाव है। टुक मार्ग पर ही खड़े करके सामान उतारने-चढ़ाने का कार्य किया जाता है।

टुकों के विश्राम को स्थिति में इन्हें अधिकतर सड़क मार्ग की पर्यटकों पर ही खड़ा रखा जाता है जिससे यातायात के स्मरक संचालन में अवरोध होता है। सहारनपुर नगर से टुकों द्वारा मुख्यतः आवागमन कपड़ा एवं अन्य औद्योगिक कच्चा एवं तैयार माल तथा ईट, रेत, सीमेंट एवं लकड़ी आदि भवन निर्माण का सामान होय जाता है।

8.3 रेल परिवहन

सहारनपुर नगर एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है, जो कि अमृतसर हावड़ा घेन विद्युत रेल लाइन पर स्थित है। यहाँ से लखनऊ, दिल्ली, हरिद्वार, अम्बाला की ओर जाने वाली रेल सेवायें उपलब्ध हैं। यहाँ से कुल 70 रेलगाड़ियाँ अग्र एवं डालन दिशा में जाती हैं, जिनसे प्रतिदिन कुल लगभग 24000 यात्री सफर करते हैं।

8.4 यातायात एवं परिवहन सम्बन्धी समस्यायें

विभिन्न प्रकार के वाहनों का मिश्रित आवागमन, पार्किंग स्थानों का अभाव, शोक एवं कुटुक व्यावसायिक क्रियाओं का नगर के घने बसे क्षेत्र के मध्य में केन्द्रीयकरण, मार्गों का अतिक्रमण, मार्गों का अपर्याप्त चौड़ाई आदि से नगर में यातायात समस्यायें उत्पन्न होती हैं। इनके अतिरिक्त नगर को अन्य यातायात समस्यायें निम्नलिखित हैं :

1. सहारनपुर नगर में विभिन्न दिशाओं से आने वाले क्षेत्रीय मार्ग मिलते हैं, परन्तु नगर में कोई उपभाग न होने से नगर के मुख्य मार्गों को नगर के यातायात के अतिरिक्त क्षेत्रीय यातायात का भी भार वहन करना पड़ता है।
2. नगर में कोई व्यवस्थित टुक अड्डा न होने के कारण विभिन्न टुक एजेंसियों के टुक खदान-चढ़ाने-उतारने तथा पार्किंग के लिए सड़क पर खड़े रहते हैं, जिससे यातायात के सुगम प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है। नगर में टैक्सि स्टैंड हेतु भी कोई उपयुक्त स्थल नहीं है।

3. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का बस अड्डा, जो रेलवे स्टेशन से घंटाघर चौराहा मार्ग पर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है, में बसों के खड़ा होने के स्थान का अभाव है। यह बस अड्डा शहर के मध्य स्थित होने के कारण क्षेत्रीय बसों को शहर के मध्य लाने के लिए बाध्य करता है। इसी प्रकार निजी बसों के अम्बाला मार्ग पर स्टीडियम के साथ चिलकाना मार्ग पर एवं चकरोता मार्ग पर स्थित है। इन बस अड्डों के अंतर्गत स्थान का अत्याधिक अभाव है। अतः अधिकतर बसें मार्गों पर ही खड़ी रहती हैं। इन बस अड्डों के पास रिक्शा एवं ताँगों के खड़ा होने हेतु बिल्कुल स्थान नहीं है। अतः इन अड्डों के आस-पास प्रायः दुर्घटनायें होती रहती हैं।

4. नगर के प्रमुख चौराहों का विकास अनियोजित रूप से हुआ है। यह आवश्यक है कि नगर के मुख्य चौराहों घंटाघर चौराहा, नगरपालिका चौराहा, दर्पण सिनेमा चौराहा, मण्डी समिति चौराहा, मोरगंज चौराहा, मोतिया महल चौराहा, चकरोता मार्ग पर तिलकनगर चौराहा, चकरोता मार्ग पर निजी बस अड्डा चौराहा, देवबन्द मार्ग चौराहा, कलेक्ट्रेट चौराहा आदि का विकास किया जायें।

5. परिवहन निगम कर्मशाला के साथ रेलवे लाईन पर स्थित दिल्ली मार्ग के उपरली सेतु का आवु पूरी हो जाने के फलस्वरूप इसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। इसके खराब हो जाने के कारण वाहनों को दर्पण सिनेमा एवं रेलवे स्टेशन के पीछे से होते हुए दिल्ली मार्ग पर आना पड़ता है।

6. शहर के पुराने भागों में नवाबगंज, राणा प्रताप मार्केट, गंज मूरगंज, नक्खास एवं करेगी नाला सड़कों पर यातायात को समस्यायें अत्यन्त विकट हैं। इन सड़कों पर दोनों तरफ अनाधिकृत निर्माण के फलस्वरूप इनकी चौड़ाई अत्याधिक कम हो गयी है, जिससे दिन भर अत्याधिक भीड़ के जमाव की स्थिति रहती है।

9.0 वर्तमान भू-उपयोग

किमी भी नगर की महायोजना तैयार करने से पूर्व नगर के वर्तमान भू-उपयोग का अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसको मानकों के आधार पर तुलना कर वर्तमान में विभिन्न भू-उपयोगों के अंतर्गत क्षेत्र की कमियों की गणना की जाती है। महायोजना में भविष्य की जनसंख्या की आवश्यकताओं के साथ साथ वर्तमान की कमियों को दूर करने के प्रस्ताव किये जाते हैं।

महारनपुर नगर अम्बाला-लखनऊ रेलवे लाईन द्वारा दो भागों में विभक्त है। रेलवे लाईन के उत्तरी भाग में मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र, नगरपालिका, मुख्य डाकघर, टेलीफोन एक्सचेंज, उच्च स्तर की सामुदायिक सुविधायें तथा घने बसे आवासीय क्षेत्र स्थित हैं। उत्तरी भाग में मिश्रित भू-उपयोग की अधिक समस्याएं हैं। नियोजन के अभाव में जो भी विकास हुआ है, वह भू-उपयोग पर बिना किसी प्रभावशाली नियन्त्रण के हुआ है। इसके फलस्वरूप नगर का भौतिक विकास अनियोजित रूप में हुआ, जिससे भू-उपयोग का जटिल सम्मिश्रण हो गया है। सामान्यतया एक ही स्थान पर एक ही भवन में अनेक प्रकार की क्रियायें देखने को मिलती हैं। वाणिज्य, उद्योग, कार्यालय जैसे भू-उपयोग आवासीय भू-उपयोग के साथ घनिष्ठता से मिले हुए हैं। अतः भू-उपयोग को अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करके विभिन्न भू-उपयोग के अंतर्गत आने वाली भूमि के क्षेत्रफल का निरूपण करना अत्यन्त कठिन हो गया है, फिर भी भू-उपयोग सर्वेक्षण के आधार पर नगर के भू-उपयोग का निर्धारण किया गया है, जो तालिका- 10 में दिया गया है :-

तालिका संख्या : 10

सहारनपुर नगरीय क्षेत्र का वर्तमान भू-उपयोग वर्ष 2001

क्र.सं०	भू उपयोग	क्षेत्रफल हे०	प्रतिशत
1	गार्मिंग आबादी	129.60	5.57
2	चतुर्भुज निर्मित क्षेत्र	701.20	30.12
3	आवासीय	602.25	25.87
4	व्यापार एवं वाणिज्य	83.37	3.58
5	उद्योग	152.60	6.56
6	राजकीय एवं अर्ध-राजकीय कार्यालय	51.10	2.19
7	सामुदायिक सुविधाएं	145.35	6.24
8	पार्क, क्रीड़ा स्थल, उद्यान	82.00	3.52
9	यातायात एवं परिवहन	164.00	7.04
10	बाग	129.63	5.57
11	नदी, नाला, राजवाहा, नहर	55.52	2.38
12	शमशान एवं कब्रिस्तान	24.70	1.06
13	सांवेज ट्रांजिमेंट प्लान्ट	7.00	0.30
	योग	2,328.32	100.00

तालिका संख्या - 10 से स्पष्ट है कि उद्योग भू-उपयोग, जो किसी भी नगर के आर्थिक आधार का मुक्त हैं, के अंतर्गत क्षेत्र आवश्यकता से कम है। इसी तरह स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता के अनुसार किसी नगर के कुल उपयोगों का प्रतिशत, जो पार्क एवं खुले क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए, उसके सापेक्ष सहारनपुर नगर में पार्क एवं खुले क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। विशेषकर नये विकसित हो रहे क्षेत्रों में पार्क एवं खुले क्षेत्रों का अभाव है।

10.0 सहारनपुर महायोजना 2001 का मूल्यांकन

10.1 जनसंख्या

वर्तमान महायोजना के प्रस्तावानुसार सहारनपुर नगर पालिका परिषद क्षेत्र की वर्ष 2001 तक 5.15 लाख जनसंख्या अनुमानित थी। महायोजना क्षेत्र में सम्मिलित हो जाने वाले ग्रामों की जनसंख्या 0.84 लाख अनुमानित था। इस प्रकार सहारनपुर नगरीय क्षेत्र 'महायोजना क्षेत्र' को वर्ष 2001 तक कुल जनसंख्या 6.0 लाख प्रक्षेपित की गयी थी, परन्तु उक्त प्रक्षेपित जनसंख्या के विरुद्ध वर्ष 2001 की जनगणनानुसार सहारनपुर नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या 4.7 लाख हो रही है। इस प्रकार नगर पालिका क्षेत्र में जनसंख्या अनुमानित जनसंख्या से 0.45 लाख अर्थात् 8.7 प्रतिशत कम रही है। जैसा कि तालिका संख्या 11 से स्पष्ट ज्ञान है 19 नगरपालिका सीमा के बाहर, परन्तु महायोजना क्षेत्र के अन्दर के क्षेत्र में अनुमानित 0.84 लाख जनसंख्या का विरुद्ध वार्षिकिक रूप में लगभग 1.04 लाख जनसंख्या रही है। इस प्रकार बाहरी क्षेत्रों में प्रक्षेपित जनसंख्या

से लगभग 20 हजार अर्थात् 23.8 प्रतिशत जनसंख्या अधिक आई है। महायोजना क्षेत्र की वर्ष 2001 हेतु प्रक्षेपित 6.00 लाख जनसंख्या के विरुद्ध वास्तविक जनसंख्या 5.74 लाख रही है। इस प्रकार वास्तविक जनसंख्या प्रक्षेपित जनसंख्या से 0.26 लाख अर्थात् 4.33 प्रतिशत ही कम रही है।

तालिका संख्या : 11

सहारनपुर महायोजना क्षेत्र की वर्ष 2001 हेतु प्रक्षेपित एवं वास्तविक जनसंख्या का विश्लेषण

क्रमांक	जनसंख्या	नगरपालिका क्षेत्र	महायोजना क्षेत्र में सम्मिलित बाह्य क्षेत्र	कुल योग
1	प्रक्षेपित जनसंख्या	5.15	0.84	6.00
2	वास्तविक जनसंख्या	4.70	1.04	5.74
3	अन्तर	-0.45	+0.20	-0.26

10.2 श्रम शक्ति

वर्तमान महायोजना में वर्ष 1991 में कुल जनसंख्या में श्रमिकों का प्रतिशत 29 प्रतिशत तथा वर्ष 2001 में 31 प्रतिशत हो जाने का अनुमान था, जिसकी तुलना में वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में श्रमिकों का प्रतिशत 27.15 प्रतिशत रहा। वर्ष 2001 की जनगणना के विस्तृत आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण आर्थिक आधार का मूल्यांकन वर्ष 1991 की जनगणना आंकड़ों के आधार पर ही किया जा रहा है। तालिका संख्या 12 से स्पष्ट है कि वर्ष 1991 के लिए प्रक्षेपित श्रमशक्ति एवं 1991 की वास्तविक श्रमशक्ति की विभिन्न मुख्य श्रेणियों में भागीदारी के प्रतिशत में बहुत कम अन्तर पाया है, परन्तु द्वितीयक श्रेणी में पारिवारिक उद्योगों का विकास अनुमान से कम हुआ है। इसमें अनुमानित भागीदारी 6 प्रतिशत के स्थान पर केवल 1.41 प्रतिशत ही है। इसी तरह तृतीयक श्रेणी में भी यातायात संग्रहण एवं संचार में विकास अनुमान से कम रहा है। इसकी भागीदारी अनुमानित 17.50 प्रतिशत के विरुद्ध 9.46 प्रतिशत ही रही है। कुल जनसंख्या में श्रमिकों की भागीदारी अनुमान अनुसार बढ़ोत्तरी न होने के कारण सहारनपुर के आर्थिक विकास का आधार कमजोर होना है। विवरण अग्रलिखित तालिका संख्या 12 में दर्शाया गया है।

10.3 भू-उपयोग

सहारनपुर नगर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मार्गों द्वारा प्रदेश एवं देश के अन्य नगरों से सम्बद्ध है। ये क्षेत्रीय मार्ग नगर के मध्य से निकलते हैं। नगर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये क्षेत्रीय मार्ग नगर में रेडियल पैटर्न बनाते हुए नगर का चारों तरफ से विस्तार कर रहे हैं। सहारनपुर महायोजना-2001 में इन क्षेत्रीय मार्गों को एक रिंग रोड द्वारा संयुक्त कर नगर की मार्ग संरचना रिंग रेडियल पैटर्न पर प्रस्तावित कर नगरका विकास

वर्तमान नगर के चारों ओर प्रस्तावित किया गया था। वर्ष 1983 में नगर का सकल घनत्व लगभग 200 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर था, जो कि अत्यधिक था। इसका ध्यान में रखते हुए वर्ष 2001 की प्रक्षेपित जनसंख्या 6.00 लाख के लिए 135 व्यक्ति हेक्टेयर घनत्व के आधार पर 4,459.37 हेक्टेयर क्षेत्रफल का प्रस्ताव महायोजना 2001 में किया गया है। वस्तुतः वर्ष 2001 में महारनपुर नगर की कुल जनसंख्या 5.74 लाख हो गया, जो कि प्रक्षेपित जनसंख्या से मात्र 4.33 प्रतिशत कम है, परन्तु 6.00 लाख प्रक्षेपित जनसंख्या के लिए प्रस्तावित 4,459.37 हेक्टेयर क्षेत्र के विरुद्ध मात्र 2,274.80 हेक्टेयर क्षेत्र ही विकसित हो पाया, जो कि लक्ष्य का मात्र 51 प्रतिशत है। इस तरह वर्ष 2001 में 5.74 लाख की जनसंख्या मात्र 2,274.80 हेक्टेयर में स्थापित हो गया जिससे नगर का घनत्व, जो वर्ष 1983 में 200 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर था, जिसका वर्ष 2001 में 135 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर करने का लक्ष्य था, वह वर्ष 2001 में बढ़कर 250 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर हो गया। इसका कारण है कि आवासीय क्षेत्र में वर्ष 1983 से 2001 तक 66.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि अनावासीय क्षेत्र में वृद्धि मात्र 18.46 प्रतिशत हो रही है। इस कारण महारनपुर नगर के पिछले 20 वर्षों में जो भी विकास हुआ है, उसका अधिकांश भाग अनाधिकृत है। अनाधिकृत रूप से विकसित कालोनियों में सुविधाओं, खुले क्षेत्र एवं मार्गों के लिए पर्याप्त क्षेत्र नहीं छोड़ा गया है। नगर में आबादी के अनुपात में सुविधाएँ न बढ़ने से सुविधाओं का अतिरिक्त भार बढ़ा है।

तालिका संख्या : 12

श्रम शक्ति का मूल्यांकन

श्रमिकों की श्रेणी	1991 पूर्वानुमान		1991 वास्तविक	
	श्रमिक सं०	प्रतिशत	श्रमिक सं०	प्रतिशत
1. प्राथमिक श्रेणी	2,557	2.50	3,851	3.79
काश्तकार	1,023	1.00	1,327	1.31
खेतीहर मजदूर	716	0.70	949	0.93
पशुपालन, खान, खदान आदि	818	0.80	1,575	1.55
2. द्वितीयक श्रेणी	37,845	37.00	36,771	36.23
पारिवारिक उद्योग	6,137	6.00	1,433	1.41
पारिवारिक उद्योग के अतिरिक्त उद्योग	28,639	28.00	32,455	31.98
निर्माण	3,069	3.00	2,883	2.84
3. तृतीयक श्रेणी	61,881	60.50	60,891	59.98
व्यापार एवं वाणिज्य	23,525	23.00	27,569	27.16
यातायात संग्रहण संयार	17,899	17.50	9,602	9.46
अन्य क्रियाएं	20,457	20.00	23,720	23.36
योग	1,02,283	100.00	1,01,513	100.00
जनसंख्या	4,52,699		3,73,904	
श्रमिक भागांदागे दर	22.59		27.15	

जैसा कि उभर चतथा गया है कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र में से मात्र 51 प्रतिशत क्षेत्र ही विकसित हो पाया है। इसका 35 उपयोग विवरण तालिका संख्या 13 में दिया गया है।

तालिका सं० : 13
सहारनपुर महायोजना 2001 में प्रस्तावित भू उपयोग के विरुद्ध हुए विकास का विवरण (हेक्टेयर में)

क्र. सं.	प्रस्तावित भू उपयोग	महायोजना परम्परा के अन्तर्गत													
		प्रस्तावित क्षेत्रफल	समाप्त/रू. विकास	अवशेष	अवशेषी	अवसाधिक औद्योगिक	कृषि/वाण्य	वास्तुशिल्प/सुविधाएं	अन्य/अन्य	पनायत वन/प्रकृत	कृषि/वन	मीवांच/कान	जक/गल/क्रोड/अन्य	कुल अर्जावकृत/निर्माणा	कुल अर्जावकृत/अन्य
1.	गांधीन आशरी	111.29	111.29										18.31	18.31	129.61
2.	जलमय निपत क्षेत्र	677.67	368.11	41.60	72.50	6.00	12.00						133.1	149.52	701.20
3.	अवशेषी	655.62	451.15	5.50	6.00	21.22	36.60						167.8	172.17	602.25
4.	आवाय व वाण्य	166.25	58.06		6.60	0.42							25.21	108.19	83.37
5.	नागुदायिक सुविधाएं	213.10	177.9	1.00	6.55	1.00							27.45	95.2	145.35
6.	शिकीय अर्जा	75.85	57.10											27.75	51.10
7.	राजकीय कर्मचारी	627.68	140.5		5.80		0.20						12.70	487.18	152.60
8.	वाण्य/शिकीय	472.71	164.00											358.74	164.20
9.	सिंचन/शिकीय	347.76	82.00											265.76	82.00
10.	जल/अन्य	21.61	21.61										3.06		24.70
11.	समाप्त भूमि	115.10	5.5										1.5	109.60	7.00
12.	अन्य	77.28	67.28		4.1								62.25	10.00	129.63
13.	नदी, नहर, जलाशय														55.52
	संग्रह	4454.33	1421.82	48.10	93.55	26.72	48.80	8.00					450.98	2657.51	2328.32

10.31 आवासीय

तालिका संख्या 12 में स्पष्ट है कि महारतपुर महायोजना में प्रस्तावित 1,055.62 हेक्टेयर आवासीय क्षेत्र में से 602.25 हेक्टेयर आवासीय के रूप में विकसित हो पाया, जो कि प्रस्तावित क्षेत्र का मात्र 36 प्रतिशत है। योजनाकाल में विकसित आवासीय क्षेत्र में 72 प्रतिशत भू-उपयोग के अनुरूप विकसित हुआ है। जबकि 28 प्रतिशत आवासीय विकास प्रस्तावित भू-उपयोगों के विरुद्ध हुआ है। महायोजना में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र के 26 प्रतिशत क्षेत्र में आवासीय भू-उपयोग विकसित हो पाया है जबकि लगभग 7 प्रतिशत क्षेत्र में अन्य भू-उपयोग विकसित हो गये। इस महायोजना में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र 1,055.62 हेक्टेयर में से 67 प्रतिशत क्षेत्र अभी भी रिक्त है। अध्ययन में यह भी उल्लेख हुआ है कि नगर के उत्तरी भाग में हुआ आवासीय विकास अनधिकृत प्रकृति का है, जबकि दक्षिणी भाग में अधिकतर विकास अधिकृत प्रकृति का है। तालिका संख्या 13 में स्पष्ट हो रहा है कि महारतपुर महायोजना में प्रस्तावित पार्क, खुले क्रीडास्थल, उद्यान में भू-उपयोग के विरुद्ध आवासीय निर्माण हो गया है। यह प्रस्तावित नदियों के किनारे प्रस्तावित पार्क, क्रीडास्थल में अधिकतम पाया गया। वर्ष 1983 में नगर को जनसंख्या लगभग 3.14 लाख 782.54 हेक्टेयर आवासीय क्षेत्र में निवास करती थी। इस प्रकार 1983 में आवासीय घनत्व 250 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर था। महायोजना काल में इसको कम कर कर 200 में आयासीय घनत्व 250 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर करने का प्रस्ताव किया गया था, परन्तु वास्तव में वर्ष 2001 में आवासीय घनत्व 1983 के समान 300 व्यक्ति हेक्टेयर हो रहा है। अन्य महायोजना अपना लक्ष्य प्राप्त करने में पुणनतः असफल रहा है। इस कारण महायोजना लागू होने के उपरान्त भी अधिकांश आवासीय निर्माण अनधिकृत प्रकृति का हुआ है। अनधिकृत रूप से विकसित कालोनियों में भू-खण्डों का अफसर कम है। इन कालोनियों में खुले क्षेत्र एवं अन्य सुविधाओं की कमी के साथ मार्गों का चौड़ाई भी पतने के कारण आवासीय घनत्व अति अधिक हो गया है।

10.3.2 व्यापारिक

वर्ष 1983 में 50.75 हेक्टेयर भूमि व्यापारिक भू-उपयोग के अंतर्गत थी। व्यापारिक गतिविधियाँ नगर के निर्मित क्षेत्र में मार्गों के किनारे स्थित थीं, जिनमें यातायात समस्या गम्भीर थी। महायोजना 2001 में अनेधान नगरपाल व्यापारिक क्षेत्र को यथावत रखते हुए चकराता मार्ग पर एक और नगरीय व्यापारिक केंद्र प्रस्तावित किया गया था। इसके अतिरिक्त नगर के उत्तरी भाग में 2 उपनगरीय केंद्र एवं दक्षिणी भाग में एक उपनगरीय केंद्र के साथ-साथ थोक मण्डी एवं भण्डारण हेतु स्थल का प्राविधान किया गया था। महायोजना-2001 में व्यापारिक भू-उपयोग के अंतर्गत 166.25 हेक्टेयर भूमि का प्राविधान किया गया था। वर्ष 2001 के वर्तमान भू-उपयोग से स्पष्ट है कि व्यापारिक भू-उपयोग के अंतर्गत केवल 83.37 हेक्टेयर भूमि ही विकसित हो पायी है। महायोजना 2001 में प्रस्तावित मण्डी स्थल में मण्डी का निर्माण हुआ एवं प्रस्तावित भण्डारण स्थल में भू-उपयोग का आंशिक विकास हुआ। महायोजना में प्रस्तावित व्यापारिक भू-उपयोग के 29 प्रतिशत क्षेत्र अन्य भू-उपयोगों में आ गये हैं, जबकि 58 प्रतिशत क्षेत्र अभी भी रिक्त है। केवल 35 प्रतिशत क्षेत्र में व्यापारिक भू-उपयोग विकसित हुआ है। इस क्षेत्र में महायोजना काल से पुत्र का विकसित क्षेत्र भी सम्मिलित है। 25.31 हेक्टेयर भूमि जिनका भू-उपयोग महायोजना में

अन्यत्र था व्यापारिक भू-उपयोग विकसित हो गया है, जो कि कुल व्यापारिक क्षेत्र का 30 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि महायोजना के प्रस्ताव क्रियान्वित नहीं हुए हैं। प्रस्तावित का क्रियान्वयन न होने से वर्तमान नगरीय केन्द्र के स्थानीयकरण की प्रक्रिया जारी है। इस नगरीय केन्द्र में पार्किंग की सुविधा न होने एवं मार्गों की चौड़ाई अपर्याप्त होने के कारण यातायात समस्या दिन-प्रतिदिन गम्भीर होती जा रही है।

10.3.3 सामुदायिक सुविधायें

वर्ष 2001 की प्रक्षेपित जनसंख्या की आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु महायोजना में विभिन्न क्षेत्रों पर सामुदायिक सुविधायें भू-उपयोग हेतु 213.1 हेक्टेयर भूमि का प्राविधान किया गया था, जबकि वर्ष 1983 में विद्यमान सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए केवल 145.35 हेक्टेयर, जो कि प्रस्ताव का 68 प्रतिशत ही विकसित हो पाया है। इस विकास में भी लगभग 34 प्रतिशत विकास भू-उपयोग के विरुद्ध है। प्रस्तावित सामुदायिक सुविधायें भू उपयोग के लगभग 13 प्रतिशत क्षेत्र में अन्य भू उपयोग विकसित हो गये हैं, जबकि लगभग 22 प्रतिशत क्षेत्र अभी भी रिक्त है।

10.3.4 उद्योग

नगर के आर्थिक आधार को सुदृढ़ करने हेतु महायोजना 2001 में 627.68 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग उद्योगों हेतु निर्धारित किया गया था। औद्योगिक क्षेत्र के प्रस्ताव दिल्ली मार्ग, देहरादून मार्ग, चिलकाना मार्ग पर किये गये थे। वर्तमान भू-उपयोग 2001 के अनुसार अध्ययन से स्पष्ट हो रहा है कि वर्ष 1983 से 2001 तक औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि लगभग नगण्य है। 1983 तक विकसित क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए प्रस्तावित औद्योगिक भू-उपयोग के मात्र 24.31 प्रतिशत क्षेत्र में औद्योगिक भू-उपयोग विकसित हुआ है, जबकि 4.74 प्रतिशत में अन्य भू उपयोग आ गये हैं। इस तरह प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र का 72.88 प्रतिशत भाग पूर्णतः रिक्त है। वर्ष 2001 तक विकसित औद्योगिक क्षेत्र में से लगभग 8 प्रतिशत भाग महायोजना में प्रस्तावित अन्य भू उपयोगों से आया है। वर्ष 1983-2001 के काल में सहारनपुर विकास क्षेत्र में कोई भी प्रमुख नयी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं हो पायी है। छोटी एवं मध्यम आकार की इकाइयों का विकास भी नगण्य रहा है, जिसके कारण सहारनपुर नगर का औद्योगिक आधार कमजोर हुआ है।

10.3.5 राजकीय कार्यालय

यह अनुमान करते हुए कि सहारनपुर नगर के प्रशासनिक स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है वर्तमान कार्यालयों के पुनर्स्थापना हेतु अम्बाला मार्ग एवं दिल्ली मार्ग के मध्य एवं चकराता मार्ग एवं देहरादून मार्ग के मध्य एक-एक स्थल का भू-उपयोग राजकीय कार्यालय प्रस्तावित किया गया है। महायोजना में प्रस्तावित राजकीय कार्यालय भू-उपयोग के 69.19 प्रतिशत क्षेत्र में वर्ष 2001 में राजकीय कार्यालय स्थापित हैं। इसमें अधिकतर कार्यालय महायोजना काल से पूर्व में स्थापित हैं। राजकीय कार्यालय भू-उपयोग के 10.83 प्रतिशत भाग में अन्य भू-उपयोग स्थापित हो गये हैं, जबकि प्रस्तावित क्षेत्र का 19.98 प्रतिशत भाग अभी भी रिक्त है।

10.3.6 यातायात एवं परिवहन

सहारनपुर महायोजना 2001 में वर्तमान मार्गों का उच्चोकरण कर इनको नये मार्गों द्वारा सम्बद्ध कर

मार्ग संरचना प्रस्तावित की गयी थी। इसके अतिरिक्त अम्बाला मार्ग पर एक यातायात नगर एवं एक बस स्टैण्ड एवं देहगढ़ नगर पर एक यातायात नगर प्रस्तावित किया गया है। यातायात एवं परिवहन भू-उपयोग के अंतर्गत वर्ष 2001 के लिए 422.74 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव किया गया था। वर्ष 2001 के वर्तमान भू-उपयोग के अध्ययन से स्पष्ट हो रहा है कि सहारनपुर महायोजना का यातायात एवं परिवहन सम्बन्धी कोई भी प्रस्ताव क्रियान्वित नहीं हो पाया है। प्रस्तावित भू-उपयोग में मात्र 38.79 प्रतिशत भाग ही यातायात एवं परिवहन भू-उपयोग में विकसित हो पाया है। इसमें अधिकतर भाग वर्ष 1983 में भी यातायात एवं परिवहन भू-उपयोग के अंतर्गत ही था। यातायात एवं परिवहन के कई भी नये प्रस्ताव क्रियान्वित नहीं हो पाये हैं। प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन भू-उपयोग के 6 प्रतिशत भाग में अन्य भू-उपयोग विकसित हो गये हैं। शेष 55.17 प्रतिशत अभी भी रिक्त है। यातायात एवं परिवहन के प्रस्ताव क्रियान्वित न होने के कारण यातायात समस्या गम्भीर हुई है। बाईपास का प्रस्ताव क्रियान्वित न होने के कारण क्षेत्रीय यातायात अभी भी नगर के मध्य से गुजरता है। बस स्टैण्ड को दिशा-निर्देश देने तथा इन्को नियंत्रण करने से सम्बन्धित एजेंसियाँ अस्फल रही हैं। महायोजना के ऐसे प्रस्ताव, जिनका क्रियान्वयन आर्थिक आधार पर लाभप्रद नहीं है, के संबंध में कोई स्पष्टनीति न होने के कारण इन प्रस्तावों का क्रियान्वयन लगभग नगण्य रहा है। जनसंख्या के दबाव के कारण आवासीय क्षेत्रों का विस्तार हुआ है परन्तु आवासीय क्षेत्र का विस्तार भी अधिकतर भू-उपयोग के अनुरूप होने हुए भी अनाधिकृत प्रकृति का है। नये आवासीय क्षेत्रों में खुले क्षेत्रों का अभाव है। मार्गों की चौड़ाई अपर्याप्त है। अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं। आवासीय क्षेत्र के विस्तार के साथ ही अन्य भू-उपयोगों में, जो विकास अपेक्षित था, वृद्धि न होने के कारण पूर्व में विद्यमान समस्या विकराल हुई है। यातायात एवं परिवहन के प्रस्ताव क्रियान्वित न होने से यातायात समस्या बढ़ी है। पार्क एवं खुले क्षेत्र प्रस्ताव क्रियान्वित न होने से नगर का वातावरण दूषित हुआ है। व्यापारिक प्रस्ताव क्रियान्वित न होने के कारण वर्तमान नगरीय व्यापारिक क्षेत्र पर दबाव बढ़ा है। औद्योगिक विकास न होने के कारण नगर का आर्थिक आधार कमजोर हुआ है।

तालिका संख्या : 14

सहारनपुर महायोजना में पूर्व 1983 में वर्तमान भू-उपयोग एवं वर्ष 2001 के वर्तमान भू-उपयोग का तुलनात्मक विवरण

क्र.सं०	भू-उपयोग	वर्ष 1983 में वर्तमान भू-उपयोग (हेक्टेयर में)	वर्ष 2001 में वर्तमान भू-उपयोग (हेक्टेयर में)	वर्ष 1983 से 2001 तक भू-उपयोग में वृद्धि	वृद्धि % में
1	आवासीय	782.54	1303.45	520.91	66.57
2	अनावासीय	705.96	836.42	130.46	18.48
	योग	1488.50	2139.87	651.37	43.76

इसमें ग्रामीण आवासीय के अन्तर्गत 129.60 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, जिसे सम्मिलित करने पर योग 1433.05 हो जाता है :

अध्याय -3
भावी प्रस्ताव

1.0 जनसंख्या प्रक्षेपण

नगर की जनसंख्या का पूर्वानुमान ही उस नगर की महायोजना हेतु प्रस्ताव देने के लिये मूल आधार बिन्दु होता है। प्राकृतिक वृद्धि दर तथा अप्रवासन के कारण नगर की जनसंख्या में वृद्धि होने की आशा की जाती है। जनसंख्या में अप्रवासन दर की बढ़ोत्तरी किसी नगर के आर्थिक क्रिया कलापों एवं सामाजिक गतिविधियों के विकास पर निर्भर करती है।

सहारनपुर नगर की जनसंख्या वृद्धि की भावी सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2021 के लिए जनसंख्या वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ऐसा अनुमान है कि वृद्धि 2021 तक सहारनपुर नगर क्षेत्र के अतिरिक्त समीपवर्ती 31 ग्राम नगरीयकरण से प्रभावित होंगे तथा उनकी भावी जनसंख्या को भी प्रस्तावित सहारनपुर नगरीय क्षेत्र (अर्थात् महायोजना क्षेत्र) में लिया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र का जनसंख्या प्रक्षेपण नगर की भावी सामाजिक, आर्थिक क्रियाओं को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न गणितीय विधियों के आधार पर किया गया है, जिसे तालिका संख्या- 15 से 17 तक में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या : 15

जनसंख्या प्रक्षेपण सहारनपुर नगर

विधियाँ	वर्ष 1991 वास्तविक जनसंख्या	वर्ष 2001 वास्तविक जनसंख्या	वर्ष 2011	वर्ष 2021
1. अंकगणितीय	3,73,904	4,69,764	6,10,93	7,93,900
2. ज्योमेट्रिक			6,32,301	8,49,758
3. पैराबोला			5,82,935	7,13,417
औसत	3,73,904	4,69,764	6,08,643	7,65,691

तालिका संख्या : 16

प्रस्तावित सहारनपुर नगरीय क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामों की जनसंख्या का प्रक्षेपण

विधियाँ	वर्ष 1991 वास्तविक जनसंख्या	वर्ष 2001 वास्तविक जनसंख्या	वर्ष 2011	वर्ष 2021
1. अंकगणितीय	66,545	96,956	1,41,264	2,05,821
2. ज्योमेट्रिक			1,70,400	2,66,399
3. पैराबोला			1,50,755	2,03,5349
औसत	66,545	96,956	1,54,139	2,25,256

तालिका संख्या : 17

प्रस्तावित सहारनपुर नगरीय क्षेत्र की प्रक्षेपित जनसंख्या

क्र.सं०	नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र	वर्ष 1991 वास्तविक जनसंख्या	वर्ष 2001 वास्तविक जनसंख्या	वर्ष 2011	वर्ष 2021
1.	सहारनपुर नगरीय क्षेत्र	3,73,904	4,69,764	6,08,643	7,85,691
2.	प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में पड़ने वाला ग्रामीण क्षेत्र	66,545	96,956	1,54,139	2,25,256
	प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र की कुल जनसंख्या			7,62,782 या 7,63,000	10,10,947 या 10,00,000

तालिकाओं से स्पष्ट है कि महायोजनाकाल वर्ष 2021 तक सहारनपुर नगर क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या 7.86 लाख तथा प्रसमीपवर्ती ग्रामों की अनुमानित जनसंख्या 2.25 लाख हो जायेगी। इस प्रकार सहारनपुर नगरीय क्षेत्र (अर्थात् महायोजना क्षेत्र) में 2021 के अन्त तक जनसंख्या 10.11 लाख अर्थात् 10.00 लाख हो जाने का अनुमान है।

2.0 श्रम शक्ति

क्रियाओं को नगर को गतिशीलता एवं सुदृढ़ता का आंकलन उसकी आर्थिक स्थिति से आंका जाता है। नगर के विकास को सुचारु गति प्रदान करने हेतु यह आवश्यक है कि नगर के आर्थिक आधार को गतिशील एवं सुदृढ़ किया जाये तथा रोजगार क्षमता को बढ़ाया जाये। नगर में भारी श्रम शक्ति का अनुमान लगाना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि श्रम शक्ति विभिन्न आर्थिक क्रियाओं, जनसंख्या की वृद्धि, उद्योग तथा रोजगार देने वाले अन्य उपक्रमों की स्थापना आदि द्वारा प्रत्याशित एवं अप्रत्याशित रूप में प्रभावित होती है। नगर में भारत श्रमिकों की संख्या का अनुमान इस आधार पर किया गया है कि भविष्य में योजनाबद्ध विकास के फलस्वरूप नगर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके साथ यह भी अनुमान किया गया कि नगर में बहुमुखी विकास के साथ साथ स्त्री रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इन कारणों से जनसंख्या में श्रमिकों के अनुपात में बढोत्तरी का अनुमान किया गया है।

यह अनुमान किया गया है कि वर्ष 2001 में श्रमिकों को कुल जनसंख्या में भागीदारी, जो 27.25 प्रतिशत है, वह 2011 में बढ़कर 29 प्रतिशत एवं 2021 में बढ़कर 30 प्रतिशत हो जायेगी।

तालिका संख्या : 18

सहारनपुर नगर की जनसंख्या में श्रमिकों की भागीदारी

वर्ष	कुल जनसंख्या	श्रमिकों की कुल संख्या	कुल जनसंख्या में श्रमिकों की संख्या का प्रतिशत
2001	4,69,764	1,28,010	27.25
2011	7,63,000	2,21,300	29.00
2021	10,00,000	3,00,000	30.00

2.1 श्रम शक्ति का विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में विभाजन

विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में भावी श्रमिकों के विभाजन का अनुमान किया गया है, जिसका विवरण तालिका संख्या 18 में दिया गया है। प्राथमिक क्रियाओं में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत 1991 में 3.79 वर्ष 2001 से कम होकर 3.70 हो गया है। भविष्य में नगरीयकरण की वृद्धि के साथ प्राथमिक क्रियाओं के उपयोग में लगी हुई भूमि अन्य नगरीय उपयोगों में परिवर्तित होती जायेगी तथा इन क्रियाओं में लगे श्रमिकों का अनुपात भी कम होता जायेगा। इस आधार पर यह अनुमान किया गया कि वर्ष 2011 में प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए श्रमिकों का अनुपात 3.25 प्रतिशत एवं 2021 में 2.50 प्रतिशत हो जायेगा।

नगर के आर्थिक आधार को सुदृढ़ करने के लिए औद्योगीकरण अत्यन्त आवश्यक है। औद्योगीकरण के साथ-साथ अन्य आर्थिक क्रियाओं विशेषकर वाणिज्य एवं व्यवसाय, यातायात आदि क्रियाओं में श्रमिकों का अनुपात, जो वर्ष 2001 में 36.30 प्रतिशत है, वर्ष 2011 में 36.50 प्रतिशत व वर्ष 2021 में 37.00 प्रतिशत हो जायेगा। तृतीय श्रेणी में वर्ष 2001 में 60.00 प्रतिशत श्रमिक कार्यरत थे, जो बढ़कर 2011 में 60.25 प्रतिशत एवं वर्ष 2021 में 60.50 प्रतिशत हो जायेंगे।

किसी भी नगर की महायोजना तैयार करने से पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि विभिन्न भू-उपयोगों के क्षेत्र का आंकलन कर लिया जाये। यह आंकलन वर्तमान भू-उपयोग के आधार पर विभिन्न भू-उपयोगों के अंतर्गत कम पाये गये क्षेत्र एवं भावी जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति हेतु मानकों के आधार पर क्षेत्र की गणना पर निर्भर करेगा। वर्तमान भू-उपयोग एवं जनसंख्या के अध्ययन से स्पष्ट हैं कि वर्तमान में नगरीय घनत्व 250 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है, जो कि अति अधिक है। महायोजना में इसको कम करके 140 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2021 में सहारनपुर नगर की जनसंख्या 10.00 लाख हो जाने का अनुमान किया गया। 146 व्यक्ति नगरीय घनत्व के आधार पर इस 10.00 लाख जनसंख्या हेतु कुल 7,143.00 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

3.0 प्रस्तावित भू-उपयोग

3.1 आवासीय

वर्तमान में 5.74 लाख की जनसंख्या 1,433 हेक्टेयर आवासीय क्षेत्र में निवास करती है। वर्तमान आवासीय घनत्व 400 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है, जो कि अधिक है। इस वर्तमान आवासीय क्षेत्र के घनत्व को कम करना तो सम्भव नहीं होगा, परन्तु नये विकसित होने वाले क्षेत्रों में आवासीय घनत्व 250 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर किये जाने में प्रयास किये जायेंगे। 2001 व 2021 के मध्य आने वाली 4,26,000 जनसंख्या के लिए 2002.0 हेक्टेयर अतिरिक्त आवासीय भूमि की आवश्यकता होगी। वर्तमान आवासीय क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 2021 में आवासीय क्षेत्र की आवश्यकता 3434.91 हेक्टेयर होगी।

3.2 व्यापारिक

वर्तमान में कुल भू-उपयोग का 3.32 व्यापारिक गतिविधियों के अंतर्गत है। इन व्यापारिक स्थलों के मार्ग संकरे हैं व पार्किंग सुविधाओं का अभाव है। नियोजित व्यापारिक स्थल विकसित करने पर कुल भू-उपयोग (2.25) प्रतिशत व्यापारिक गतिविधियों में आने का अनुमान है। अतः वर्ष 2021 में 157.33 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग व्यापारिक हो जाने का अनुमान किया गया है।

तालिका संख्या : 19

महारनपुर नगरीय क्षेत्र में कार्यरत एवं भावी श्रमिकों का व्यावसायिक श्रेणीवार विवरण

व्यवसायिक श्रेणी	1991		2001		2011		2021	
	श्रमिक सं०	प्रतिशत	श्रमिक सं०	प्रतिशत	श्रमिक सं०	प्रतिशत	श्रमिक सं०	प्रतिशत
प्रथमिक श्रेणी	3,851	3.79	4,735	3.70	7,200	3.25	7,500	2.50
1.1 काश्तकार	1,327	1.31	1,730	1.35	2,435	1.10	2,700	0.90
1.2 खेतीदार मजदूर	949	0.93	960	0.75	1,325	0.60	1050	0.35
1.3 खान एवं खदान	1,575	1.55	2045	1.60	3,440	1.55	3750	1.25
द्वितीयक श्रेणी	36,771	36.23	4,6470	36.30	80,775	36.50	1,11,000	37.00
2.1 पारिवारिक उद्योग	1,433	1.41	1,855	1.45	3,320	1.50	48,000	1.60
2.2 पारिवारिक उद्योगों के अतिरिक्त उद्योग	32,455	31.98	40,960	32.00	71,035	32.10	96,900	32.30
2.3 निर्माण	2,883	2.84	3,655	2.85	6,420	2.90	9,300	3.10
तृतीयक श्रेणी	60,891	59.98	76,805	60.00	1,33,325	60.25	1,81,500	60.50
3.1 व्यापार एवं वाणिज्य	27,569	27.16	34,880	27.25	60,635	27.40	82,500	27.50
3.2 यातायात, सग्रहण एवं संचार	9,602	9.46	12,100	9.45	21,025	9.50	28,650	9.55
3.3 अन्य क्रियायें	23,720	23.36	29,825	23.30	51,665	23.35	70,350	23.45
योग	1,01,513	100.00	1,28,010	100.00	2,21,300	100.00	3,00,000	100.00
जनसंख्या	3,73,904		4,69,764		7,63,000		10,00,000	
श्रमशक्ति की भागिना दर	27.15 प्रतिशत		29.25 प्रतिशत		29.00 प्रतिशत		30.00 प्रतिशत	

3.3 उद्योग

यह अनुमान किया जा रहा है कि वर्ष 2021 तक पारिवारिक उद्योगों में लगे श्रमिकों को छोड़कर अन्य उद्योगों में 55,940 आंतरिक श्रमिक औद्योगिक क्रियाओं में रोजगार प्राप्त करेंगे, जिनके लिए अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र को समर्पित करने हुए वर्ष 2021 में कुल 902.02 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक भू-उपयोग के लिए आवश्यक है, जो कि कुल भू-उपयोग का 12.92 प्रतिशत होगी।

3.4 यातायात एवं परिवहन

वर्तमान कर्मियों की पूर्ति के साथ साथ भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यह अनुमान है कि वर्ष 2021 में कुल भू-उपयोग का 13.72 प्रतिशत भाग यातायात एवं परिवहन भू-उपयोग के अंतर्गत होगा। अतः वर्ष 2021 में कुल भू-उपयोग में 957.96 हेक्टेयर भूमि यातायात एवं परिवहन भू-उपयोग में होगी।

3.5 पार्क एवं खुले स्थल

नगर के स्वस्थ वातावरण तथा मनोरंजन गतिविधियों के लिए पार्क एवं खुले स्थल के रूप में महायोजना में वर्ष 2021 तक की आवश्यकता हेतु 924.31 हेक्टेयर भूमि का अनुमान किया गया है।

3.6 सामुदायिक सुविधायें

आर्थिक विकास के साथ जीवन स्तर में हो रही वृद्धि के साथ सामुदायिक सुविधाओं की आवश्यकता में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। यह अनुमान है कि 2021 में 524.66 हेक्टेयर क्षेत्र सामुदायिक सुविधायें भू-उपयोग के अंतर्गत होगा।

4.0 सहारनपुर महायोजना (2021) प्रस्तावों के सम्बन्ध में नीति निर्धारण

4.1 निर्मित क्षेत्र

महायोजना 2001 में दर्शाये गये निर्मित क्षेत्रों में मार्गों के किनारे निर्मित आवासीय भवनों को तोड़कर बड़े पैमाने पर उच्च स्तरीय व्यावसायिक क्रियाओं का विकास हुआ है। परिणामस्वरूप निर्मित क्षेत्र में :-

1. उपलब्ध संकरे मार्गों पर यातायात का भार बढ़ा है।
2. व्यावसायिक क्रिया-कलापों में सेट बैक व पार्किंग को समुचित व्यवस्था न होने के फलस्वरूप विद्यमान मार्गों को व्यवहारिक रूप में उपलब्ध चौड़ाई और कम हो गयी है, जिससे यातायात के आवागमन में अवरोध उत्पन्न हुआ है।
3. नगर के बाह्य भागों में प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विकास नगण्य रहा है।
4. इस क्षेत्र में आवासीय स्वरूप पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

नीति निर्धारण

1. निर्मित क्षेत्र यूज जोन के प्रमुख आवासीय स्वरूप को यथावत रखने के उद्देश्य से सहारनपुर महायोजना 2021 में निर्मित क्षेत्र में स्थित प्रमुख अनावासीय भू-उपयोगों को दर्शाते हुए शेष को निर्मित क्षेत्र यूज जोन में नामांकित किया जाना उचित होगा।
2. इस यूज जोन में वाणिज्यिक एवं अन्य गैर आवासीय क्रियाओं के विस्तार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इन क्रियाओं की अनुमन्यता को निर्मित क्षेत्र यूज जोन में हतोत्साहित करना उचित होगा, ताकि इस क्षेत्र के संकरे मार्गों पर यातायात भार को नियंत्रित किया जा सके।
3. मुख्य मार्गों के किनारे किनारे निर्धारित चौड़ाई तक के वाणिज्यिक क्षेत्र के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र में अनुमन्य भू-उपयोग के सम्बन्ध में परिक्षेत्रीय विनियमन में पृथक रूप से प्राविधान किया जाये।
4. निर्मित क्षेत्र के वे समस्त मार्ग, जिनकी चौड़ाई पुनरीक्षित महायोजना में प्रस्तावित नहीं होगी, की चौड़ाई अपनी वर्तमान में उपलब्ध अधिकतम सीमा तक ही, इस प्रतिबंध के साथ कि मार्गों की न्यूनतम चौड़ाई 4 मीटर अनुमन्य होगी, ही प्रस्तावित की गयी है।
5. निर्मित क्षेत्र में भवनों की स्वीकृति के समय ऐसे भूखण्ड, जिनका क्षेत्र 100 वर्ग मीटर से कम है, में अग्र सेट बैक 1.5 मीटर होगा। 100 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्ड में भवन स्वीकृति के समय अग्र

मेट बैंक का निर्धारण सामान्य भवन उपविधियों द्वारा निर्धारित होगी। निर्मित क्षेत्र में नैन नॉ जेन्युअर अधिक ऊँचे भवन अनुमत्त नहीं किये जायेंगे। केवल 100 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र के भूखण्डों में अग मेट बैंक के नियम शिथिल किये जायेंगे। शेष सभी पर सामान्य भवन उपविधियाँ लागू होंगी।

4.2 पशुपालन व डेरी उद्योग

नगर के निर्मित क्षेत्रों में विशेषकर घनी आबादी वाले क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अख्यवस्थित रूप में पशुपालन में सम्बन्धित छुट्ट प्लूट स्तर के डेरी उद्योग कार्यरत हैं। परिणामस्वरूप :

अ. पशुओं के मल-मूत्र के निस्तापण की व्यवस्था के अभाव में नगर के आवासीय क्षेत्रों में प्रायः सॉवर लाउन चौक हो जाती है व नालियाँ ओवर फ्लो करती हैं। परिणामस्वरूप गन्दगी के कारण पर्यावरण पर दुष्प्रभाव होता है।

ब. नगर के पृथ्वी व आन्तरिक भागों पर प्रायः पशुओं के आवागमन से सूचारू यातायात भी अवरूढ गत है।

नीति निर्धारण

उक्त समस्या के निराकरण हेतु निर्मित क्षेत्र में कार्यरत पशुपालन डेरी उद्योग को अंतरिक्ष-मार्गों में ब्राह्म क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के उद्देश्य से कृषि हरित पट्टी यूज जॉन में डेरी उद्योग के विकास के लिए डेरी नगर का विकास किया जाये।

4.3 ग्रामीण निर्मित क्षेत्र

महायोजना 2001 में प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण आबादी के सन्निकट क्षेत्रों को ग्रामीण आबादी के धार्मिक विस्तार हेतु प्रस्तावित न किये जाने के परिणामस्वरूप ग्रामीण आबादी के विस्तार में व्यवहारिक कठिनाई का अनुभव किया गया है।

नीति निर्धारण

प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण आबादी के विस्तार हेतु पृथक रूप से प्राविधान किया जाना उचित होगा। ग्रामीण आबादी के विस्तार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में केवल ग्राम के मूल निवासी जो गाँव में कम से कम पिछले 10 वर्ष से रह रहे हैं, को भवन निर्माण की अनुमति हो एवं इस भवन के आगानों 10 वर्ष तक विक्रय पर रोक हो :

4.4 आवासीय

1. महायोजना 2001 में प्रस्तावित गैर आवासीय भू-उपयोग के अंतर्गत अनधिकृत रूप से आवासीय निर्माण हो गया है।
2. जो आवासीय निर्माण भू-उपयोग के अनुरूप हुआ, वह भी अधिकांशतः अनधिकृत प्रकृति का है। इन अनधिकृत कॉलोनियों में मार्ग संकोच हैं एवं पार्क एवं खुले स्थलों एवं अन्य सुविधाओं का अभाव है।
3. प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में गैर आवासीय भू-उपयोग विशेषकर मार्गों के किनार उच्च स्तरीय वाणिज्यिक क्रियाओं का विकास हो गया है।

नीति निर्धारण

1. महायोजना 2001 में गैर आवासीय क्षेत्र में अनधिकृत रूप से विकसित आवासीय कालोनियों को गुण-दोष के आधार आवासीय भू-उपयोग में समायोजित किया जाये।
2. आवासीय भू-उपयोग के अंतर्गत मुख्य मार्गों के किनारे पट्टीनुमा रूप में वाणिज्यिक क्रियायें विकसित होने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए आवासीय क्षेत्र के प्रमुख मार्गों के साथ-साथ कुछ क्षेत्रीय वाणिज्यिक भू-उपयोग प्रस्तावित कर दिये जायें। इस वाणिज्यिक भू-उपयोग में वाणिज्यिक क्रियायें पार्किंग सुविधाओं के साथ नियोजित ढंग से विकसित हो पायें।
3. ऐसे क्षेत्र, जहाँ पर आवासीय निर्माण की प्रवृत्ति हो, हेतु जोनल प्लान यथाशीघ्र तैयार किया जाये। जोनल प्लान तैयार करते समय भू-स्वामित्व को भी आधार बनाया जाये, ताकि प्रत्येक भू-स्वामी की 60 प्रतिशत भूमि आवासीय भूखण्ड के रूप में उसको प्राप्त हो जाये।
4. अनावासीय क्रियाओं से आवासीय वातावरण दूषित होता है। इस कारण कई बार असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न होती है। अतः ऐसे आवासीय क्षेत्रों का प्राविधान किया जाये जो शुद्ध रूप से आवासीय हो।

4.5 वाणिज्य

1. सहारनपुर महायोजना 2001 में वर्तमान नगरीय वाणिज्य केन्द्र एवं इसके आस-पास के आवासीय क्षेत्र को भी नगरीय वाणिज्य केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे आवासीय भवनों को तोड़कर वाणिज्यिक क्रियाओं में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति प्रबल हुई है।
2. निर्मित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उच्च स्तरीय वाणिज्यिक विकास हुआ है। परिणामस्वरूप जहाँ एक ओर निर्मित क्षेत्र द्वारा वर्तमान में वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में कार्यरत करते हुए समस्त नगर की विभिन्न स्तरीय वाणिज्यिक क्रियाओं की प्रतिपूर्ति की गयी, वहीं दूसरी ओर बाह्य क्षेत्र में प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों में विकास महायोजना प्रस्तावों के अनुरूप नहीं रहा।
3. बाह्य क्षेत्रों में प्रस्तावों में अनुरूप नगरीय अधोसंरचना एवं वर्तमान मार्गों से सम्बन्ध आंतरिक मार्गों का विकास न होने के कारण वाणिज्यिक विकास इस क्षेत्रों में मुख्यतः मार्गों के किनारे पट्टीनुमा रूप से हुआ था आंतरिक भागों में कम हुआ।
4. सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी का कार्य बड़े पैमाने पर होता है। इस कार्य हेतु आवश्यक लकड़ी का विक्रय मार्गों के किनारे होता है, जिससे यातायात अवरुद्ध हो जाता है।

नीति निर्धारण

1. निर्मित क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान वाणिज्यिक क्रिया कलाप एवं निर्माण तथा प्रस्तावित वाणिज्यिक उपयोग मानचित्र पर स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया जाये।
2. वाणिज्यिक निर्माण पट्टीनुमा रूप में प्रमुख मार्गों के किनारे विकसित हुआ है। इस प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए प्रमुख मार्गों के साथ कुछ क्षेत्रीय वाणिज्यिक भू-उपयोग केन्द्र प्रस्तावित किये जाये, जहाँ पर वाणिज्यिक क्रियायें पार्किंग सुविधा के साथ विकसित हो सकें।
3. सहारनपुर में लकड़ी के कार्य में कार्यरत व्यवसायियों की पूर्ति हेतु लकड़ी का प्राविधान किया जाना चाहिए।

4.6 उद्योग

महानगर महायोजना 2001 के काल में उद्योग क्षेत्र में वृद्धि नगण्य ही है। कोई भी प्रमुख उद्योग इस अवधि में महानगर में स्थापित नहीं हुआ है।

नीति निर्धारण

उद्योगों की स्थापना हेतु पर्याप्त भूमि के प्राविधान के साथ-साथ स्थापित होने वाले उद्योग को आर्थिक पंजीकरण, लगातार विद्युत आपूर्ति एवं सुरक्षा का वातावरण भी उपलब्ध करवाना होगा।

4.7 पार्क एवं खुले स्थल

महानगर महायोजना 2001 में प्रस्तावित पार्क एवं खुले स्थल का विकास प्रस्ताव के अनुरूप नहीं हुआ है। अपितु इन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में अनधिकृत निर्माण हुआ है, जिससे नगर के वातावरण पर कुप्रभाव पड़ा है।

नीति निर्धारण

1. पार्क एवं खुले स्थल पर अनधिकृत निर्माण हो गया है। इनको समाप्त कर अन्य स्थानों पर पार्क एवं खुले क्षेत्रों का प्राविधान इस प्रकार किया जाये, ताकि इसका वितरण युक्तिसंगत हो।
2. पार्क एवं खुले क्षेत्रों का विकास आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है। अतः निर्जल क्षेत्र में डगडग विकास तभी सम्भव है, जय इसके विकास के लिए प्रलोभन दिया जाये। यदि कोई निजी व्यक्ति या मस्था पार्क का विकास करती है तो इसको कुल क्षेत्र के आंशिक भाग पर अन्य क्रियायें विकसित करने की अनुमति दिये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।
3. निजी व्यक्ति/मस्थायें जो पार्क एवं खुले क्षेत्र का विकास करना चाहती हैं या इसको पार्क एवं खुले स्थल के रूप में प्राधिकरण को उपलब्ध करना चाहती हैं तो उनके द्वारा पार्क एवं खुले क्षेत्र के अग्रव्यवहारी क्षेत्र में अनुमत्य तल क्षेत्र किसी अन्य स्थल पर अतिरिक्त तल क्षेत्र के रूप में अनुमत्य किया जाये।
4. वर्तमान में उपलब्ध बागों को यथावत रखा जाये, परन्तु इसके एवज में अतिरिक्त तल क्षेत्र अन्य स्थान पर अनुमत्य कर दिया जाये।

4.8 यातायात, परिवहन एवं मार्ग संरचना

महानगर महायोजना 2001 के मूल्यांकन में यह स्पष्ट है कि महायोजना काल में प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र का मात्र 51 प्रतिशत भाग ही विकसित हुआ है, जबकि जनसंख्या प्रक्षेपित के अनुरूप आ गयी, जिसके परिणामस्वरूप नगरीय घनत्व, जो वर्ष 1983 में 200 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर था, बढ़कर वर्ष 2001 में 250 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर हो गया। नगर में घनत्व वृद्धि की प्रक्रिया का मुख्य कारण नगर के बाह्य क्षेत्रों में महायोजना के अनुरूप मार्गों का विकास नहीं हो पाया है। इसी के समरूप नगर की समस्त मार्ग संरचना एवं यातायात प्रणाली का भी उचित विकास नहीं हो पाया है।

अतः किसी भी नगर की महायोजना का प्रस्तावों के अनुरूप विकास एवं नगरीय क्रियाओं का भव्य भौतिक विस्तार नगर की प्रस्तावित मार्ग संरचना एवं यातायात प्रणाली के विकास से उत्प्रेरित होता है। निर्धारित

मार्ग संरचना एवं यातायात प्रणाली के उसी महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए पुनरीक्षित महायोजना में उक्त का क्रियान्वयन नियोजन एवं व्यावहारिक दृष्टि से अपरिहार्य हो जाता है। इसी उद्देश्य से नगर की वर्तमान भौतिक संरचना एवं आकार तथा नगर विकास की प्रवृत्ति एवं दिशा को दृष्टिगत रखते हुए मार्ग संरचना हेतु नीति निर्धारित की गयी है।

नीति निर्धारण

1. नगर के वर्तमान प्रमुख रेडियल पैटर्न को यथावत बनाये रखते हुए इनकी चौड़ाई यथासम्भव बढ़ाया जाना अपरिहार्य है।
2. नगर के प्रमुख रेडियल मार्ग संरचना को सुगम रूप से सम्बद्ध करने हेतु रिंग कार्डिन का प्राविधान करना आवश्यक है।
3. वर्तमान निर्मित क्षेत्र में अनावासीय क्रियाओं के विस्तार से इस क्षेत्र में यातायात बढ़ रहा है। अतः वर्तमान निर्मित क्षेत्र में अनावासीय क्रियाओं के विस्तार में प्रतिबन्ध हों।
4. महायोजना 2011 में प्रस्तावित मार्गों पर, जहाँ कहीं अनधिकृत निर्माण हो गया है एवं मार्ग का निर्माण सम्भव नहीं है, इन मार्गों का एलाइनमेन्ट परिवर्तित कर पुनः एलाइनमेन्ट निर्धारित किया जाये।
5. महायोजना 2001 में नये प्रस्तावित मार्ग विकसित नहीं हो पाये। अतः प्रयास किया जाये कि वर्तमान उपलब्ध मार्गों का उच्चीकरण कर महायोजना मार्ग प्रस्तावित किया जाये।
6. प्रस्तावित एवं वर्तमान संरचना को ध्यान में रखते हुए बस स्टैण्ड एवं परिवहन नगर का प्राविधान किया जाये।
7. ऐसे मार्ग, जो नगरीय यातायात के साथ-साथ क्षेत्रीय यातायात की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अति आवश्यक है, का विकास निजी संस्थाओं की भागीदारी से यथाशीघ्र किया जाये, ताकि नगर में यातायात की समस्या कम हो।
8. ऐसे क्षेत्र, जहाँ निकट भविष्य में विकास की सम्भावनाएँ हैं, का जोनल प्लान यथाशीघ्र तैयार किया जाये। जोनल प्लान के अंतर्गत महायोजना मार्गों को दर्शाया जाये। यह प्रयास किया जाये कि किसी भी व्यक्ति की भूमि का 40 प्रतिशत से अधिक भाग इन मार्गों अथवा अन्य सुविधाओं के अंतर्गत न हो।
9. जोनल प्लान के अंतर्गत दर्शाये गये मार्गों का निर्माण बेटरमेन्ट चार्ज लगाकर वसूल किये गये धन से किया जाये।

4.9 कृषि हरित पट्टी

प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र के बाहर स्थित कृषि हरित पट्टी भी नगरीय विकास एवं विस्तार प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। कृषि हरित पट्टी में कई तरह की क्रियाएँ गतिशील होने लगती हैं। इन नगरीय क्रियाओं के अतिक्रमण से एक तरफ नियोजित विकास प्रभावित होता है, वहीं दूसरी ओर सीमित कृषि भूमि का नियंत्रित दोहन होता है।

नीति निर्धारण

1. कृषि क्षेत्र में जोनिंग रेगुलेशन के अंतर्गत ऐसी क्रियाएँ अनुमत्य की जायें, जिनका विकास कृषि के लिए आवश्यक है।

2. ग्रामीण आबादी, जो प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र के बाहर स्थित है, परन्तु महायोजना में ग्रामीण आबादी नहीं दर्शाया गया है, के विस्तार को अनुमति निम्नलिखित अनुसार होगी।
- अ. यदि लाल डोंग के अंतर्गत भूमि उपलब्ध है तो उसमें ग्रामीण आबादी एवं ग्रामीण आबादी में सम्बन्धी क्रियाएँ अनुमत्त होंगी।
- ब. लाल डोंग के बाहर ग्रामीण आबादी का विस्तार मूल ग्रामीण निवासियों के लिए अनुमत्त होगा। वह ग्रामीण, जो 10 वर्ष पूर्व से ग्राम में निवास कर रहे, को अपने निजी निवास हेतु भवन बनाने का अनुमति इस शर्त के साथ दी जायेगी की आगामी 10 वर्षों तक इसको विक्रय नहीं किया जायेगा।

5.0 महायोजना में प्रस्तावित भू-उपयोग

सहारनपुर महायोजना- 2001 के अंतर्गत प्रस्तावित कुल 4,459.33 हेक्टेयर नगरीय क्षेत्र की तुलना में सहारनपुर महायोजना 2021 में कुल 6,981.19 हेक्टेयर नगरीय क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2021 में अनुमानित 10 लाख जनसंख्या हेतु महायोजना-2021 में लगभग 143 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर सकल घनत्व प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। विभिन्न भू-उपयोगों के अंतर्गत सहारनपुर महायोजना 2021 में प्रस्तावित क्षेत्रफल के विवरण संलग्न तालिका संख्या-20 में दिये गये हैं।

तालिका संख्या : 20

सहारनपुर महायोजना - 2021 में प्रस्तावित भू-उपयोग

क्र. सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत
1	आवासीय	3,434.91	49.20
	1.1 ग्रामीण आबादी भाग विस्तार	170.49	
	1.2 निर्धन क्षेत्र	627.66	
	1.3 मिश्रित आवासीय	2,048.32	
	1.4 आवासिय	588.44	-
2	व्यवसायिक	157.33	2.25
3	उद्योग	902.02	12.92
	3.1 लघु उद्योग	815.02	-
	3.2 भारी उद्योग	87.00	-
4	कार्यालय	80.00	1.15
5	सांस्कृतिक सुविधाएँ एवं सेवाएँ	524.66	7.52
6	सजायाल एवं परिकल्पित	957.96	13.72
7	पार्क, उद्यान एवं कोडोस्थल	924.31	13.24
	योग	6,981.19	100.00

सहारनपुर महायोजना 2001 में परिकल्पित विकास की दिशा एवं मार्ग संरचना तथा महायोजनाबाधि में हुए भू-उपयोग प्रस्तावों के विपरीत हुए विकास एवं निर्माण के परिपेक्ष्य में महायोजना 2021 में दिये गये प्रस्तावों को अधिक व्यापक एवं व्यावहारिक बनाया गया है। इस संदर्भ में सहारनपुर महायोजना 2021 में दिये गये प्रस्तावों का मुख्य-मुख्य विवरण निम्नवत है।

5.1 निर्मित क्षेत्र

सहारनपुर महायोजना 2001 में नामांकित निर्मित क्षेत्र को निर्मित यूज जोन के अंतर्गत ही नामांकित किया गया है। इसका मुख्य स्वरूप आवासीय रहेगा। इस यूज जोन के अन्तर्गत निर्धारित बाजार क्षेत्र एवं सघन बाजार क्षेत्र में भू-तल पर वाणिज्यिक क्रियायें अनुमत्य होगी। शेष समस्त क्षेत्र में मात्र आवासीय क्रियायें ही अनुमत्य होगी। बाजार क्षेत्र एवं सघन बाजार क्षेत्र हेतु पृथक रूप में परिक्षेत्रीय विनियमन प्रस्तावित किये गये हैं।

सहारनपुर महायोजना -2001 में प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र यूज जोन के अंतर्गत विद्यमान प्रमुख राजकीय कार्यालय, सामुदायिक सुविधायें आदि से संबंधित क्रियाओं को निर्मित क्षेत्र यूज जोन के स्थान पर पृथक रूप से उनके संबंधित यूज जोन के अंतर्गत समायोजित किया गया है। निर्मित क्षेत्र के आस-पास अनाधिकृत रूप से नगरीय क्रियाओं विशेषकर आवासीय क्रियाओं का विकास हो गया है, को यथारूप समायोजित करते हुए निर्मित यूज जोन के अंतर्गत यथारूप प्रस्तावित कर दिया गया है।

निर्मित क्षेत्र में विद्यमान मुख्य क्षेत्रीय मार्गों को छोड़कर शेष मार्गों की वर्तमान चौड़ाई इस प्रतिबन्ध के साथ कि इन मार्गों की चौड़ाई न्यूनतम 4 मीटर होगी, को यथारूप मानते हुए महायोजना में प्रस्तावित किया गया है।

निर्मित क्षेत्र में अनुमत्य भू-उपयोगों के अतिरिक्त अन्य उपयोगों को नान-कन्फर्मिंग मानते हुए उनके विस्तार एवं पुनः निर्माण/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सहारनपुर विकास प्राधिकरण की बैठक में गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

निर्मित क्षेत्र में भवनों की स्वीकृति हेतु सामान्य भवन उपविधियाँ लागू होंगी, केवल 100 वर्ग मीटर से कम के भूखण्ड में अग्र सेट बैक न्यूनतम 1.5 मीटर होगा एवं निर्मित आवासीय क्षेत्र में तीन मंजला अथवा 9 मीटर, जो भी कम हो, से अधिक ऊँचे भवन अनुमत्य नहीं होंगे।

5.2 निर्मित ग्रामीण आबादी क्षेत्र

आबादी क्षेत्र जोन के विस्तार हेतु आबादी क्षेत्रों के संलग्न क्षेत्र को पृथक रूप से प्रस्तावित किया गया है। ग्रामीण आबादी/विस्तार क्षेत्र में गाँव के केवल मूल निवासी, जो पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से गाँव में निवास कर रहे हैं, को भवन निर्माण की अनुमति होगी।

5.3 आवासीय

आवासीय भू-उपयोग को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जिनमें से एक मिश्रित आवासीय तथा दूसरा आवासीय क्षेत्र है। मिश्रित आवासीय क्षेत्र में कतिपय अन्य क्रियाएं भी शासन की नीति के अनुरूप अनुमत्य की गयी हैं, जबकि आवासीय क्षेत्रों में मुख्य रूप आवासीय तथा स्थानीय स्तर पर अति

आवश्यक क्रियाओं को ही अनुमत्य किया गया है। मिश्रित आवासीय क्षेत्र सामान्यतः वे क्षेत्र हैं जहाँ पर इस प्रकार का विकास हुआ है अथवा निकट भविष्य में होने की प्रबल सम्भावना है। बाहरी क्षेत्रों में अनुमत्य नहीं हो करने के लिए मिश्रित आवासीय भू-उपयोग को कम रखा गया है। अन्य आवश्यक क्रियाओं पर निम्न भू-उपयोग निर्धारित क्रिये गये हैं जिसमें बि. नियोजित रूप से विकास हो सके।

5.4 वाणिज्य

निर्दिष्ट आवासीय क्षेत्र में भवन बाजार क्षेत्र एवं बाजार क्षेत्र का निर्धारण कर दिया गया है जहाँ वाणिज्यिक क्रियायें निर्धारित भवन उपाधिधियों के अनुसार अनुमत्य होंगी।

5.4.1 सघन बाजार क्षेत्र

1. अधिकतम भू-उपयोग अन्वयन 75 प्रतिशत।
2. वाणिज्यिक कार्यालय भू-उपयोग मात्र भू-तल पर अनुमत्य होंगे। शेष तलों पर आवासीय भू-उपयोग अनुमत्य होंगे।
3. गहराई को अधिकतम फूटवाड़ 9 मीटर अथवा 3 मीजिल जो भी कम हो।
4. मार्गों को प्रस्तावित चौड़ाई 10 मीटर बैंक छोड़ते हुए भवन निर्माण।
5. वेगमैन अनुमत्य नहीं होगा।
6. अप गेट बैंक में निर्माण शर्तहीन नहीं होगा।
7. न्यूनतम अप गेट बैंक 1.5 मीटर में विशेष परिस्थितियों में छूटने को अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ होगी कि उभय स्तम्भ का निर्माण अनुमत्य नहीं होगा तथा प्रथम तल पर खुला होगा। 1.5 मीटर अप गेट बैंक के बाद 6.0 मीटर गहराई तक ही व्यवसायिक क्रिया अनुमत्य होगी। 5 मीटर अप गेट बैंक के बाद 6.0 मीटर गहराई तक ही व्यवसायिक क्रिया अनुमत्य होगी। इस प्रकार कुल 7.5 मीटर तक उपरान्त भू-स्तर को अधःगण गहराई यदि 2.4 मीटर से कम हो तो इसका व्यवसायिक उपयोग अनुमत्य से अन्य प्रावधान भवन उपाधि के अन्तर्गत होगा।

5.4.2 बाजार क्षेत्र

सघन बाजार क्षेत्र को उपरान्त विन्दु 1 से 6 में दिये गये प्रतिबन्ध बंधावत लागू होंगे। सन्तु 1.2 मीटर अप गेट बैंक के साथ न्यूनतम 3.0 मीटर गहराई तक पार्किंग के साथ 12 मीटर अप गेट बैंक एवं जातिगत सड़क गहराई तक व्यवसायिक क्रियायें अनुमत्य होंगी। 12 मीटर की गहराई उपरान्त यदि अधःगण गहराई 2.4 मीटर से कम हो तो इसका व्यवसायिक उपयोग अनुमत्य से अन्य प्रावधान भवन उपाधि के अन्तर्गत होगा।

व्यावसायिक काम्पलेक्स

निर्धारित बाजार क्षेत्र में निम्न शर्तों के साथ व्यवसायिक काम्पलेक्स का निर्माण अनुमत्य होगा-

1. न्यूनतम मार्ग चौड़ाई - 24 मीटर
2. भू-स्तर को न्यूनतम चौड़ाई - 20 मीटर
3. भू-स्तर को अधिकतम गहराई - 100 मीटर

